4

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-2020)

सत्रहवीं लोक सभा

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2019-2020)

चौथा प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
दिसम्बर, 2019/*अग्रहायण*, 1941 *(शक)*

चौथा प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2019-2020)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2019-20)

12 दिसम्बर, 2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
12 दिसम्बर, 2019 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 2019*/अग्रहायण,* 1941 *(शक)*

सीसी एंड एफ सं. 4

मूल्य: ₹ 76.00

© 2019 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डीआरवी ग्राफिक्स प्रिन्ट, नई दिल्ली-110 058 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

पृष्ठ

समिति (2019-2020) की संरचना ..... (iii)

प्राक्कथन ..... (v)

प्रतिवेदन

भाग एक

अध्याय एक प्रस्तावना 1

अध्याय दो अनुदानों की मांगें (2019-20) 3

अध्याय तीन विभाग की योजनाएं 8

अध्याय चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 23

अध्याय पांच सांविधिक निकाय—राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) 29

अध्याय छह स्वतंत्र निकाय—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) 36

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें 40

परिशिष्ट

एक. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की 22 अक्तूबर, 2019 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश ... 47

दो. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की 10 दिसंबर, 2019 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश ... 51

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की संरचना

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एम. बदरुद्दीन अज़मल
3. श्री रमाकान्त भार्गव
4. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
5. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
6. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
7. श्री कृपानाथ मल्लाह
8. श्री सत्यदेव पचौरी
9. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
10. श्री अरुण कुमार सागर
11. श्री एम. सेल्वराज
12. श्री प्रदीप कुमार सिंह
13. श्री उदय प्रताप सिंह
14. श्री नंदीगम सुरेश
15. इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु
16. श्री एच. वसंतकुमार
17. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
18. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
19. श्री दीपक बैज
20. डॉ. मनोज राजोरिया
21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्री रंजिब बिस्वाल
23. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
24. डॉ. अनिल जैन
25. श्री अहमद अशफाक करीम
26. श्री अमर सिंह
27. श्री विजय पाल सिंह तोमर
28. रिक्त
29. रिक्त
30. रिक्त
31. रिक्त

सचिवालय

1. श्री मनोज कुमार अरोड़ा — **विशेष कार्य अधिकारी**
2. श्री ए.के. श्रीवास्तव — **निदेशक**
3. श्री सी. कल्याणसुन्दरम — **अपर निदेशक**
4. सुश्री सोनिया सांखला — **सहायक समिति अधिकारी**

प्राक्कथन

मैं, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-20) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों संबंधी यह चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) की जांच की, जिन्हें 16 जुलाई, 2019 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था।

समिति ने 22 अक्तूबर, 2019 को हुई अपनी बैठक में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

समिति ने 10 दिसम्बर, 2019 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

समिति लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दिए गए सहयोग तथा समिति के समक्ष अपने विचार रखने हेतु रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के अधिकारियों का आभार व्यक्त करती है।

संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
10 *दिसंबर,* 2019
19 *अग्रहायण,* 1941 *(शक)*

कनिमोझी करुणानिधि,
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति।

भाग एक

अध्याय एक

प्रस्तावना

औषध विभाग को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 1 जुलाई, 2008 में सृजित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में औषध क्षेत्र के विकास पर और अधिक ध्यान और जोर देना तथा दवाओं के मूल्य, निर्धारण और वहनीय मूल्यों पर इसकी उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और औषध क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े विभिन्न जटिल मुद्दों को विनियमित करना था जिसके लिए अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य करना अपेक्षित था।

1.2 औषध विभाग को निम्नलिखित कार्य आबंटित किए गए हैं:—

1. औषध और भेषज, सिवाय अन्य विभागों को विशेष रूप से आबंटित मुद्दे।
2. चिकित्सा उपकरण—संवर्धन, उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित उद्योग मुद्दे, सिवाय अन्य विभागों को विशिष्ट रूप से आबंटित मुद्दे।
3. औषध क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधान का संवर्धन और समन्वय।
4. औषध क्षेत्र के लिए अवसंरचना, जन शक्ति और कौशल विकास तथा संबंधित सूचना का प्रबंधन।
5. औषध क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों में शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें भारत तथा विदेश में उच्च अनुसंधान और अध्येतावृतियां प्रदान करना, सूचना तथा तकनीकी मार्गदर्शन का आदान-प्रदान शामिल है।
6. औषध से संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
7. औषध अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिसमें भारत और विदेश में संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से संबंधित कार्य शामिल हैं।
8. विभाग को सौंपे गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में अंतर्क्षेत्रीय समन्वय जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन आने वाले संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय शामिल है।
9. औषध क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा से निपटने हेतु तकनीकी सहायता।
10. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित सभी मामले, जिनमें मूल्य नियंत्रण/मॉनीटरिंग से संबंधित कार्य शामिल हैं।

11. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों) से संबंधित सभी मामले।

12. विभाग से संबंधित सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा उनकी सहायता।

13. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड।

14. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड।

15. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड।

16. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड।

17. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड।

1.3 विभाग का काम मुख्यतः मूल्य-निर्धारण, नीति-I, नीति-II, नाईपर, पीएसयू और चिकित्सा उपकरणों में बांटा गया है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है।

1.4 रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की विस्तृत अनुदानों की मांगें (2019-20) लोक सभा में 1 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत की गई। चूंकि विभाग संबंधी स्थायी समिति का गठन नहीं किया गया था इसलिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के निगम 331 छ को निलंबित किया गया। अतः वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों को बिना डीआरएससी का हवाला दिए पारित करने हेतु लोक सभा को सक्षम बनाने के लिए 11.07.2019, को लोक सभा में एक प्रस्ताव लाया गया। हालांकि, माननीय अध्यक्ष ने सभा में देखा कि अनुदानों की मांगों से संबंधित विभाग संबंधी स्थायी समिति गठित किए जाने के पश्चात् सभा के समक्ष जांच तथा प्रतिवेदन हेतु संदर्भित की जाएगी। मांग, में 235.51 करोड़ रुपए की एक बजटीय सहायता प्रदर्शित करता है। समिति ने वर्ष 2019-20 के लिए विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों पर गहनता से जांच की है। समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन के अंत में एक पृथक अध्याय में दी गई हैं। समिति विभाग से आशा रखती हैं कि वह निर्धारित समय-सीमा में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का कार्य पूरा होना सुनिश्चिति करने के लिए धनराशि का उचित और समयानुकूल उपयोग के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। समिति विभाग से यह उम्मीद भी करती है कि वह समिति की सिफारिशों पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य करे और प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर, इस प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के दिनांक से तीन महीनों के अंदर की-गई-कार्रवाई उत्तर का विवरण दे।

अध्याय दो

अनुदानों की मांगें (2019-20)

मांग संख्या 7-औषध विभाग

वर्ष 2019-20 के लिए सकल बजटीय आबंटन 235.51 करोड़ रुपए का है जिसमें से केन्द्रीय व्यय के लिए 32.62 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट अनुमान की तुलना में 26.15 करोड़ रुपए औषध विभाग एवं एनपीपीए की सचिवालय सामान्य सेवाओं से संबंधित केन्द्रीय व्यय (गैर-योजना) के लिए है और 366.05 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट अनुमान की तुलना में 204.30 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिए है तथा 0.06 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट अनुमान की तुलना में 5.06 करोड़ रुपए पीएसयू को सहायता (ऋण) के लिए हैं।

वर्ष 2019-20 के लिए परिव्यय, सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का योजना-वार ब्यौरा और अनुमोदित परिव्यय का योजना-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार हैः—

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना/गैर-योजना	एमएच	ब.अ. 2019-20 (प्रस्तावित)	ब. अ. 2019-20 (अनुमोदित)	30.9.2019 को वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
केंद्रीय व्यय (गैर-योजना)					
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	15.96	14.15	6.63
2.	राष्ट्रीय औषध-मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	2852	16.66	12.00	5.38
	गैर-योजना का कुल		32.62	26.15	12.01
केंद्र क्षेत्रीय योजना					
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र-राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)	2552	75.00	36.40	34.00
	राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर)	2852	175.00	113.60	62.44
	कुल नाईपर (मुख्य शीर्ष 2552 + मुख्य शीर्ष 2852)		250.00	150.00	96.44

1	2	3	4	5	6
4.	औषध उद्योग का विकास	2552	0.01	0.01	
	औषध उद्योग का विकास	2852			
	औषध संवर्धन विकास योजना (पीपीडीएस)		2.00	2.00	0.21
	औषध क्षेत्र हेतु क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी-पीएस) को साझी सुविधाओं हेतु औषध उद्योग को सहायता का नाम दिया गया		10.00	6.23	2.23
	औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)		0.02	0.02	
	साझे सुविधा केंद्र के लिए बल्क औषधि उद्योग को सहायता		50.00	0.02	
	साझे सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता		0.02	0.02	
	कुल-औषध उद्योग का विकास मुख्य शीर्ष 2852 + मुख्य शीर्ष 2552		62.05	8.30	2.44
5.	जन औषधि (पीएमबीजेपी)	2552	0.01	0.01	-
		2852	49.99	41.99	11.50
	कुल जन औषधि (पीएमबीजेपी) (मुख्य शीर्ष 2552 + मुख्य शीर्ष 2852)		50.00	42.00	11.50
6.	उपभोक्ता जागरुकता, प्रचार एवं मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम)	2852			
	परियोजना निगरानी मूल्य निगरानी संसाधन यूनिट (पीएमआरयू)	2852	2.00	2.00	0.76
	सीएपीपीएम का विज्ञापन एवं प्रचार		2.00	2.00	-
	कुल सीएपीपीएम मुख्य शीर्ष 2852		4.00	4.00	0.76

1	2	3	4	5	6
7.	पीएसयू को सहायता (पीएसयू को ऋण)	6857			
	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)		0.01	0.01	
	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल)		0.01	0.01	
	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)		0.01	0.01	
	बंगाल इम्यूनिटी लि. (बीआईएल)		0.01	0.01	
	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आरडीपीएल)		0.01	*5.01	5.00
	स्मिथ स्टेन स्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. (एसएसपीएल)		0.01	0.01	
	कुल (पीएसयू को ऋण)		0.06	5.06	5.00
	कुल योग		398.73	235.51	128.15

* माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भारत की आकस्मिक निधि में से आरडीपीएल को 5.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए। तद्नुसार, योजना-वार आवंटन संशोधित किया गया है।

22. प्रस्तावित ब.अ. (2019-20) जो 398.73 करोड़ है और स्वीकृत ब.अ. (2019-20) जो केवल 2,35.51 करोड़ है, में अंतर के कारण के बारे में पूछे जाने पर और यह भी पूछे जाने पर कि क्या ब.अ. 2019-20 के तहत वित्तीय आवंटन केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विभाग ने 398.73 करोड़ रुपये का परिव्यय का प्रस्ताव किया था जिसमें 32.62 करोड़ रुपये केंद्र का व्यय (गैर-योजना) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए और 366.05 करोड़ रुपये शामिल था। हालाँकि, वित्त मंत्रालय द्वारा इस विभाग के लिए केवल 235.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो विभाग को अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 204.30 करोड़ रुपये की कुल योजनाओं के बीच कम आवंटन देने के लिए मजबूर कर दिया था। 235.51 करोड़ रुपये के इस प्रावधान का योजनावार आवंटन पारस्परिक योजना-वार प्राथमिकताओं के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है और कम आवंटन के भीतर 235.51 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। ब.अ. 2019-20 के अंतर्गत यह वित्तीय आबंटन इस विभाग द्वारा निर्धारित को पूरा करने के लिए अनुमानित निधि आवश्यकताओं से बहुत कम है। परिव्यय में कमी का विभिन्न

योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनी प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएपीपीएम को छोड़कर) के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कारणों के कारण पर्याप्त नहीं होगा।

(1) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर):

औषध विभाग ने ब.अ. 2019-20 में सात नाईपरों के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने ब.अ. 2019-20 में नाईपर को 150 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय आवंटन पर्याप्त नहीं है। इसलिए, विभाग ने छह नाईपरों में संकाय और गैर-संकाय के नियमित पदों को तत्काल भरने के लिए और छह नाईपरों के लिए उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए और नाईपर गुवाहाटी परिसर का निर्माण पूरा करने के लिए और नाईपर अहमदाबाद परिसर का निर्माण शुरू करने के लिए 275 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय को ईएफसी में यथा अनुमोदित 300 करोड़ रुपये (जीआईए-जनरल में 25 करोड़ रुपये) आवंटित करने के लिए अनुरोध भेजा है।

(2) फार्मास्युटिकल उद्योग का विकास:

विभाग ने एकछत्र योजना के संबंध में 62.05 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है जिसके लिए केवल 8.30 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं। इस एकछत्र योजना के तहत शामिल उप योजनाएं विभाग की आगामी और नई योजनाएं हैं जिन्हें उनकी प्रगति के लिए निधि के आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता है। विभाग में दोनों नई उप योजनाओं 'सामान्य सुविधा केंद्रों के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए सहायता' और 'सामान्य सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग की सहायता' के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

नई उप-योजना 'सामान्य सुविधा केंद्रों के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग की सहायता' के अंतर्गत, राज्य सरकार/राज्य निगमों द्वारा प्रोत्साहित किसी भी आगामी चिकित्सा उपकरण पार्क के तहत सुविधाओं के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये अथवा सीएफसी का 70 प्रतिशत जो भी कम हो, प्रदान किया जाना है। इस योजना के तहत, विभाग में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड) को 05.02.2019 को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। इस प्रकार इस उप-योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये की आवंटित निधि पर्याप्त नहीं होगी और सं.अ. चरण में 25 करोड़ रुपये की धनराशि लेने का निर्णय लिया गया है।

इसी प्रकार अन्य नई उप योजना 'बल्क ड्रग उद्योग के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए सहायता' के अंतर्गत सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा प्रति बल्क ड्रग पार्क सीएफसी 100 करोड़ रुपये या सीएफसी की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत होगा, जो भी कम हो। विभाग एक बल्क ड्रग पार्क के लिए 4 किस्तों में 70 करोड़ रुपये (अधिकतम) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वर्ष 2019-20 में यह उम्मीद है कि विभाग पहली किस्त के रूप में 21 करोड़ रुपये (70 करोड़ रुपये का 30 प्रतिशत) जारी करेगा।

वर्ष 2019-20 में फार्मा क्षेत्र के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी-पीएस) योजना (जिसे सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मा उद्योग की सहायता (एपीआईसीएफ) के रुप में पुनः नामकरण किया गया है), के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उप योजना के रूप में, मौजूदा योजना के तहत, चैन्नई फार्मा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कंपनी (सीपीआईआईयूसी) को 4 करोड़ रुपये जारी किए जाने हैं और उम्मीद है कि विभाग नए प्रस्तावित सीएफसी की पहली किस्त के रूप में 6 करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये का 30 प्रतिशत) जारी करेगा।

अन्य मौजूदा उप-योजना औषध संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस) के संबंध में स्वीकृत परिव्यय (2 करोड़ रुपए) औषध संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

इसलिए, वर्ष 2019-20 के लिए एकछत्र योजना 'फार्मास्युटिकल उद्योग का विकास' के लिए अनुमोदित निधि (8.23 करोड़ रुपए) योजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, भले ही उप योजनाओं के बीच निधि के उपयोग में लचीलापन हो।

(3) जन औषधि (पीएमबीजेपी):

औषध विभाग (डीओपी) के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अंतिम परिव्यय प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

(4) उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम):

ब.अ. 2019-20 के तहत वित्तीय आवंटन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। समय पर कार्रवाई करके निधि का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय तीन

विभाग की योजनाएं

(क) जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी):

औषध विभाग 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' (पीएमबीजेपी) नाम से एक योजना का संचालन करता है जिसके अन्तर्गत समर्पित रिटेल आउटलेटों अर्थात जनऔषधि केन्द्रों के माध्यम से बहुत ही सस्ती दरों पर जनता को गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाइयों की बिक्री की जाती है। सरकार ने 31 मार्च, 2020 तक देश के सभी 723 जिलों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार का प्रयास है कि:—

(i) अब से असेवित दूरदराज के स्थानों पर नए पीएमबीजेपी केन्द्रों को खोलना और पीएमबीजेपी की उत्पाद संख्या को 1000 दवाइयों एवं 200 सर्जिकल सामग्रियों तक बढ़ाना।

(ii) मांग की जाने वाली उत्पाद संख्या के बाहर की सभी दवाइयों और सर्जिकल सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(iii) चिकित्सकों और विशिष्ट रूप से जनता के मध्य जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता के बारे में जागरूकता फैलाना।

3.2 सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, दिनांक 25.07.2019 की स्थिति के अनुसार देश के 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5463 पीएमबीजेपी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान, पीएमबीजेपी योजना परिव्यय का परिणाम इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	खोले गए पीएमबीजेपी केंद्र (संख्या)	अधिकतम खुदरा मूल्य दर पर बिक्री (रुपए करोड़ में)
2016-17	965	32.66
2017-18	3229	140.84
2018-19	5100	315.70

3.3 वर्ष 2019-2020 के लिए जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य 42 करोड़ रुपए है और भौतिक लक्ष्य निम्न सारणी में दिया गया है:—

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य
1.	कवर किए गए जिले	675	723

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य
2.	प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेपीएके)	5300	6500
3.	उत्पादन बास्केट		
	(i) मेडिसन	900	1200
	(ii) सर्जिकल्स	154	200
4.	वेयरहाऊस	3	4

3.4 पिछले तीन वर्षों में बजट अनुमान और संशोधित अनुमान की तुलना में जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी) के तहत किए गए व्यय के साथ-साथ वर्षवार योजना कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.
जन औषधि योजना	35.00	49.74	49.75	74.62	74.62	47.64	84.00	42.51	42.50	42.00

संदर्भः डीएफजी प्रारम्भिक सामग्री के 8(क) के उत्तर का पृष्ठ संख्या 25 से 29 और डीडीजी 2019-20 का पृष्ठ संख्या 51 से 52

3.5 वर्तमान वर्ष 2019-20 के लिए जन औषधि योजना के तहत केवल 42.00 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित करने और इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना हेतु आवश्यक वास्तविक निधि के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर ने निम्नवत् बताया:–

> ''स्थायी वित्त समिति ज्ञापन दिनांकित 05.10.2017 के पैरा 5.2 को वित्तीय सलाहकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से सहमति प्रदान की गई थी, यह उल्लेख किया गया है कि यह योजना एक स्व-संपोषित व्यवसाय मॉडल पर चलेगी, न कि सरकारी सब्सिडी या प्रारंभिक समर्थन से परे सहायता पर निर्भर होगी।
>
> यह बीपीपीआई के संचालन का मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो जन औषधि योजना को लागू करता है। बीपीपीआई लगातार अपने राजस्व को बढ़ाने और इसकी परिचालन लागत को कम करने का प्रयास करता है ताकि आंतरिक संसाधनों के माध्यम से अपने संचालन को बनाए रख सके। वित्त वर्ष 2019-20 में, बीपीपीआई को अपने संचालन को चलाने के लिए लगभग 245.00 करोड़ रुपए

की आवश्यकता होगी। इनमें से, यह अपने संचालन से 202.50 करोड़ रुपए कमा सकता है। औषध विभाग से 42.50 करोड़ रुपए की शेष धनराशि अनुदान के रूप में आवश्यक है।

हालांकि बीपीपीआई कम अनुदान की मांग कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अपने कार्यों को कम कर रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में, बीपीपीआई देशभर में कुल 6000 केंद्रों के साथ 1000 नए जनौषधि केंद्र खोलने की योजना बना रहा है। बीपीपीआई अपने अप्रत्यक्ष खर्चों जैसे प्रशासनिक लागत, मानव संसाधन लागत, रसद लागत आदि को लगातार कम कर रहा है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2016-17 में बीपीपीआई के राजस्व की मानव संसाधन लागत 10.19% थी जो वित्त वर्ष 2017-18 में 4.58% और वित्त वर्ष 2018-19 में 2.09% तक कम हो गई थी। इस प्रकार, जैसा कि एसएफसी ज्ञापन में परिकल्पित किया गया है, बीपीपीआई आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है और सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान पर इसकी निर्भरता कम हो रही है। इसलिए, कम अनुदान के साथ भी, बीपीपीआई वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने मौजूदा स्तर को बनाए रख सकता है।''

3.6 जन औषधि (पीएमबीजेपी) के कार्य निष्पादन पर निगरानी और नियंत्रण प्रणाली के बारे में विभाग ने अनुदान की मांगों 2019-20 पर अपनी प्रारंभिक सामग्री में निम्नवत बताया:—

''औषध विभाग द्वारा 'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना' (पीएमबीजेपी) के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इस योजना के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए कई निर्णय लिए गए हैं और उन्हें लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, संभार तंत्र और आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली में अड़चन पाई गई थी, जहां, सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया, जहां दवाओं को क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग (सी एंड एफ) एजेंटों और वितरकों के माध्यम से भेजने के बजाय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मालगोदाम से सीधे केन्द्रों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि स्टोर मालिकों को नियमित रुप से वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। परिणामस्वरूप, केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिक्री की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया गया और देय प्रोत्साहनों के बैकलॉग को मंजूरी दे दी गई। पीएमबीजेके मालिकों को देय प्रोत्साहन का वितरण अब नियमित रूप से किया जा रहा है।''

3.7 अनुदानों की मांगों 2019-20 पर औषध विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान जब समिति ने पूछा कि क्या बीपीपीआई, विभाग के अधीन पीएसयू से पीएमबीजेपी के अंतर्गत औषधियां खरीद रहा है तब बीपीपीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समिति

को निम्नवत बताया:–

> "माननीय सभापीठ और माननीय सदस्यों बीपीपीआई खुली निविदा के माध्यम से खरीदारी करता है। हमारा उद्देश्य प्रतियोगिता को बढ़ाना है जिससे कि हम वैश्विक स्तर के उत्पाद उपयुक्त मूल्य पर प्राप्त कर सकें। हमारा मापदंड है कि केवल डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणीकृत कंपनियां ही खुली निविदा में भागीदारी कर सकें। खुली निविदा की प्रक्रिया से हम दरें निर्धारित करते हैं। खुली प्रतियोगिता के कारण हमें सबसे कम दरें प्राप्त होती हैं और कंपनियों को एक दूसरे से प्रतियोगिता करनी पड़ती है जिससे कि वे हमें औषधियों की आपूर्ति कर सकें। बीपीपीआई अपने मार्जिन को प्रशासनिक की तरह जोड़ता है और अन्य लागत, उत्पादों के विक्रय हेतु खुदरे मूल्य तक पहुंच जाती है। हमारे प्रशासनिक और अन्य व्यय बहुत कम होने के कारण ये कम से कम लागत पर पहुंच जाती है। हमें विपणन और अन्य प्रचार कार्यकलापों पर खर्च नहीं करना पड़ता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे उत्पाद घटिया है। दूसरे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी अपने आर्डर देते हैं। विगत वर्ष हमने आईडीपीएल, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और केरल ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स से दवाएं प्राप्त की थी।"

3.8 जब समिति ने उनके द्वारा आईडीपीएल से खरीदी गई औषधियों की लागत के विषय में पूछा तो बीपीपीआई के सीईओ ने बताया:–

> "यह लागत लगभग एक करोड़ रुपए है। समस्या यह है कि पीएसयू की औषधियों की लागत अधिक है। वे खुली निविदा में बहुत अधिक दर भरते हैं। दूसरी ओर हमारा उद्देश्य सस्ते मूल्य पर औषधियां उपलब्ध करवाना हैं। यदि हम ऊंचे मूल्यों पर खरीदते है तो इससे हमारा मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।"

3.9 मौखिक साक्ष्यों के दौरान समिति ने आदिवासी पहाड़ी अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में पीएमबीजेपी केंद्रों की स्थापना के बारे में पूछा। विभाग के सचिव ने निम्नलिखित उत्तर दिया:–

> "उदाहरणत: पहाड़ों या पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी के लिए हमारे उन जिला मुख्यालयों में जा पाना असंभव है जहां पर हमारे केंद्र स्थित है। अत: हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे एक व्यक्ति को बिना किसी किराए के और नि:शुल्क विद्युत सहित एक पीएचसी प्रदान करें जिससे कि हम उसे अन्य सामानों की बिक्री हेतु अनुमति देंगे और इससे यह व्यवहार्य बन जाता है। यदि ऐसा होता है तो हमें एक केंद्र शुरू करने से भी अधिक खुशी होगी। यदि हम केंद्रों की संख्या यह सुनिश्चित किए बिना बढ़ाते हैं कि जो व्यक्ति इसे चला रहा हैं वह कुछ लाभ कमाता है, तो यह उचित नहीं होगा। क्योंकि वह फिर नामी औषधियों को बेचना शुरू कर देगा जैसा कि हम नहीं चाहते हैं। हमने इस संबंध में कुछ शिकायतें सुनी हैं और हमने इस पर कार्रवाई भी की है। हम उनका

मूल्यांकन और निगरानी कर रहें हैं। पहाड़ों और पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों को बहुत अधिक चलना पड़ता है और पैसे खर्च करके यात्रा करनी पड़ती है। अतः हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि क्या वे वहां पर पीएचसी उपलब्ध करवा सकते हैं और इस फार्मेसी को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अथवा किसी विकलांग व्यक्ति को दे सकते हैं। हमारी एक योजना है जिसमें वह व्यक्ति 10000-15000 रुपए प्रतिमाह कमा सकता है।''

3.10 जब समिति ने जन औषधि (पीएमबीजेपी) के मूल्यांकन अध्ययन/समीक्षा के विवरण के बारे में पूछा तो विभाग ने अनुदान की मांगों 2019-20 पर अपनी प्रांरभिक सामग्री में निम्नवत बतायाः—

''औषध विभाग 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' (पीएमबीजेपी) के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। ऐसी समीक्षाओं के परिणामस्वरूप कई निर्णय लिए गए और इस योजना के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए लागू किए गए हैं। साथ ही, नीति आयोग ने पीएमबीजेपी योजना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस पर विचार किया जा रहा है।''

3.11 जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी) को लागू करने के दौरान सुधारात्मक उपाय किए गए थे और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसे उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया था। इस संबंध में, पीएमबीजेपी के निजी उद्यमियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन में संशोधन प्रभावी हुआ था। पीएमबीजेपी की प्रगति की समीक्षा के लिए माननीय राज्य मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित बैठक में संशोधन पर चर्चा की गई थी। नवीनतम संशोधन के अनुसार, 2.5 लाख रुपये की कुल सीमा तक प्रति माह 10,000/- रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन मासिक खरीद के 15% की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। पूर्व में यह 'दवाओं, सर्जिकल्स और उपभोग्य सामग्रियों की बिक्री' पर दिया जाता था।

(ख) औषध उद्योग का संवर्धनः

3.12 विभाग में एक छत्र योजना है जो नामतः ''औषध उद्योग के विकास के लिए योजना'' है। इसका उद्देश्य घरेलू औषध उद्योग की कार्यक्षमता और प्रतियोगात्मकता को बढ़ाना हैं ताकि उन्हें वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाया जा सके और बड़े पैमाने पर आम उपभोग की औषध गुणवत्ता की अधिगम्यता, उपलब्धता और वहनीयता को सुनिश्चित किया जा सके। यह योजना एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (सीएसएस) की योजना है जिसमें 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कुल 480 करोड़ रुपए का परिव्यय है और इसमें निम्नलिखित पांच उप-योजनाएं शामिल हैंः—

(क) औषध क्षेत्र हेतु क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी-पीएस) साझी सुविधाओं हेतु औषध उद्योग को सहायता;

(ख) साझे सुविधा केंद्र के लिए बल्क औषधि उद्योग की सहायता;

(ग) साझे सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग की सहायता;

(घ) औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस); तथा

(ङ) औषध संवर्धन एवं विकास योजना।

यह आशा है कि इस योजना के कार्यान्वयन से वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए घरेलू औषध उद्योग के विकास में मदद मिलेगी और सार्वजनिक उपभोग वाले अच्छे गुणवत्तायुक्त औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जिससे देश में दवा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस योजना से बल्क औषधि और चिकित्सा उपकरण उद्योग सहित औषध उद्योग को अपनी उत्पादन लागत को कम करने और साथ ही अपने संयंत्रों को डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानकों के अनुरूप बनाने में सहयोग मिलेगा जिससे भारतीय औषध उद्योग वैश्विक रूप से और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनेगा। इससे रोगियों को सस्ते मूल्य पर गुणवत्ता युक्त दवाइयां प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

3.13 फार्मा उद्योग के विकास संबंधी उद्योग योजना के अन्तर्गत उपयोजनाओं हेतु वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्याशित भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य नीचे दिए गए है:—

(क) **फार्मा क्षेत्र के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी-पीएस) योजना** जिसे 'सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मा उद्योग की सहायता' (एपीआईसीएफ) के रूप में पुनःनामकरण किया गया है, के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम **वित्तीय लक्ष्यः** 10 करोड़ रुपए है। वर्ष 2019-20 में, चैन्नई फार्मा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कंपनी (सीपीआईआईयूसी) को 4 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जानी है और यह उम्मीद है कि विभाग नए प्रस्तावित सीएफसी की पहली किस्त के रूप में 6 करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये का 30 प्रतिशत) जारी करेगा। **भौतिक लक्ष्य**: एक फार्मा क्लस्टर चैन्नई फार्मा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कंपनी (सीपीआईआईयूसी) में सामान्य सुविधाओं को पूरा करना।

(ख) **सामान्य सुविधा केंद्र (बीडीसीएफसी) के लिए बल्क ड्रग उद्योग के लिए सहायताः** वित्तीय लक्ष्य 21 करोड़ रुपए। इस श्रेणी के तहत सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए प्रति बल्क ड्रग पार्क सीएफसी या सीएफसी की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत जो भी कम हो, होगी। विभाग एक बल्क ड्रग पार्क के लिए 4 किस्तों में 70 करोड़ रुपए (अधिकतम) वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वर्ष 2019-20 में, यह उम्मीद है कि विभाग पहली किस्त के रूप में 21 करोड़ रुपये (70 करोड़ रुपये का 30 प्रतिशत) जारी करेगा। **भौतिक लक्ष्यः** एक बल्क ड्रग पार्क में सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए कार्यान्वयन को शुरू करना है।

(ग) **सामान्य सुविधा केंद्र के लिए मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की सहायताः** औषध विभाग ने दिनांक 05.02.2019 के पत्र के तहत उप-योजना 'सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता'' के लिए आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम और तेलंगाना राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में मेडिकल डिवाइस पार्क को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड सरकार से अभिव्यक्ति पत्र (लेटर ऑफ एक्सप्रेशन) भी प्राप्त हो गया है। राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान प्रस्तावों से निपटने के लिए, विभाग को चालू वित्त वर्ष में 25 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, उत्तराखंड से अभिव्यक्ति पत्र (लेटर ऑफ एक्सप्रेशन) प्राप्त हो गया है और राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

(घ) **फार्मास्यूटिकल्स संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस)ः**

वित्तीय लक्ष्यः 2 करोड़ रुपए है। **भौतिक लक्ष्य** फार्मास्युटिकल क्षेत्र में पदोन्नति, विकास और निर्यात प्रोत्साहन के लिए जीएफआर 2005 के नियम 206 में यथा उल्लिखित संस्थानों, संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

इसके अलावा, उत्तराखंड से अभिव्यक्ति पत्र (लेटर ऑफ एक्सप्रेशन) प्राप्त हो गया है और राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) **पीटीयूएएस** को शुरू किया जाना अभी बाकी है।

3.14 पिछले तीन वर्षों में बजट अनुमान और संशोधित अनुमान की तुलना में औषध उद्योग का विकास (एमएच-2852) के तहत किए गए व्यय के साथ-साथ वर्ष-वार योजना कार्यकलाप निम्नानुसार हैंः–

(रुपए करोड़ में)

योजना का नाम	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20
	ब.अ.	सं.अ.	वास्त-विक	ब.अ.	सं.अ.	वास्त-विक	ब.अ.	सं.अ.	वास्त-विक	ब.अ.
औषध उद्योग का विकास	19.44	8.25	7.62	17.03	12.03	1.82	12.97	4.00	2.82	8.30

3.15 वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निधियों के अल्प उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अनुदानों की मांगें 2019-20 संबंधी अपनी प्राथमिक सामग्री में निम्नवत् बताया:–

"इस अम्ब्रेला योजना में दो मौजूदा योजनाएं अर्थात् 'औषध क्षेत्र हेतु क्लस्टर विकास' [जिसे अब 'सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मा उद्योग की सहायता' (एपीआईसीएफ) के रुप में पुनः नामकरण किया गया है] और औषध संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस) और तीन नई योजनाएँ अर्थात् साझे सुविधा केन्द्र के लिए बल्क औषधि उद्योग को सहायता, साझे सुविधा केन्द्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता और औषध प्रौद्योगिकी संवर्धन-सहायता योजना (पीटीयूएएस) शामिल हैं।

सरकार द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वर्ष 2016-17 और 2017-18 में फार्मा क्षेत्र के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी-पीएस) योजना [जिसे 'सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मा उद्योग की सहायता' (एपीआईसीएफ) के रुप में पुनः नामकरण किया गया है] को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। तद्नुसार, इस योजना के लिए आवंटित निधियां अनुपयोगी रहीं। अब इस योजना का नाम बदलकर 'साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग की सहायता (एपीआईसीएफ)' योजना के रूप में पुनर्नामित किया गया है और इसे नई एकछत्र योजना 'औषध उद्योग का विकास' के तहत शामिल किया गया है।

उप-योजना औषध संवर्धन और विकास योजना (पीपीडीएस) के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान, बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में कुल बजट आबंटन 2.00 करोड़ रुपए था। वर्ष 2017-18 के दौरान, औषध विभाग को पीपीडीएस के तहत कॉन्फ्रेंस/सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न एसोसिएशन/संगठनों से 100 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, विभाग ने यह पाया कि केवल 35 सम्मेलन/सेमिनार कार्यशालाएँ ही पीपीडीएस के दिशानिर्देशों के अनुसार थीं। इसलिए, पीपीडीएस के तहत 1.00 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया जा सका।

पीपीडीएस के लिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बजट अनुमान के तहत 2.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। प्राप्त प्रस्तावों की सीमित संख्या के कारण, बजट अनुमान 2018-19 को संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 1.00 करोड़ रुपए कर दिया गया और वास्तविक व्यय 55 लाख रुपए हुआ जो पीपीडीएस दिशानिर्देशों के अन्तर्गत आने वाले 13 कार्यक्रमों/सेमिनारों के आयोजन के लिए विभिन्न संस्थानों को दिए गए। शेष धनराशि अर्थात् 1.48 करोड़ रुपए कम प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से लौटा दी गई थी।

अन्य तीन उप-योजनाएं, नई योजनाएं होने के कारण, बजट अनुमान और संशोधित अनुमान स्तर पर केवल टोकन राशि प्रदान की गई थी।"

उप-योजनाओं संबंधी ब्यौरा

(क) क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फॉर्मा सेक्टर—साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता

3.16 योजना क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फार्मा सेक्टर (सीडीपी-पीएस) [जिसे अब सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मा उद्योग की सहायता (एपीआईसीएफ) के रूप में पुनः नामकरण किया गया है।] की दिनांक 17.06.2015 को घोषणा की गई थी। यह विभाग की मौजूदा और अनुमोदित योजना [क्लस्टर स्कीम डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फार्मा सेक्टर (सीडीपी-पीएस)] है जिसे अब एकछत्र योजना के तहत सम्मिलित किया जा रहा है। इस योजना के तहत, बल्क ड्रग, मेडिकल डिवाइस, आयुर्वेदिक, यूनानी और सौंदर्य प्रसाधन इकाइयों सहित। किसी भी फार्मा क्लस्टर में साझा सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साझा सुविधाओं के तहत कुछ सांकेतिक गतिविधियों में सामान्य परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन लॉजिस्टिक्स सेंटर शामिल हैं। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर एकबारगी सहायता अनुदान के माध्यम से लागू की जाएगी जिसे इस प्रयोजन के लिए विभिन्न विशेष प्रयोजनार्थ साधन (एसपीवी) को जारी किया जाना है। इस योजना के लिए कुल 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं जिसमें 10 करोड़ रुपए शामिल हैं जो वर्ष 2017-18 में आवंटित किए गए थे। इस श्रेणी के तहत सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा 20.00 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर होगी या परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत होगी, जो भी कम हो।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी अर्थात् प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) को नियुक्त किया गया था। पहले चरण में, पीएमसी ने अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की और छह ईओआई प्राप्त हुई जिन पर योजना संचालन समिति (एसएससी) द्वारा विचार किया गया। केवल एक ईओआई अर्थात् मैसर्स चेन्नई फार्मा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कम्पनी (सीपीआईआईयूसी), आलाथुर, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु को योग्य पाया गया और सीपीआईआईयूसी को इस योजना के लिए एसपीवी के रूप में घोषित किया गया।

इसके अलावा पीडीआईएल ने 3 और ईओआई आमंत्रित की थीं और साथ ही योग्य फार्मा यूनिटों के रूप में विचार किए जाने के लिए ऐलोपैथिक फार्मा कम्पनियों के साथ-साथ कॉस्मेटिक, यूनानी और आयुर्वेद यूनिटों को शामिल करके योग्यता मानदण्ड में छूट भी दी थी। तथापि, उद्योग से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी औषध उद्योग हेतु क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी-पीएस) आशा के मुताबिक नहीं रहा। उद्योग की खराब प्रतिक्रियाओं और रुचि की कमी को देखते हुए विभाग ने इस योजना को संशोधित किया और अप्रैल, 2018 में इसका नाम बदलकर साझी सुविधाओं हेतु औषध उद्योग की सहायता रख दिया। इस संशोधित योजना को उद्योग से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है।

3.17 साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता योजना की आंतरिक समीक्षा के निष्कर्ष तथा उठाये जा रहे अनुवर्ती कदमों के बारे में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया :–

> "इस योजना का आंतरिक मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2017 में किया गया था। मूल्यांकन में इस योजना को उपयोगी पाया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट में फार्मा क्लस्टर में 10 इकाइयों की सीमा को 5-6 इकाइयों तक सीमित करने और अनुदान राशि को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया गया है। इसी प्रकार, प्रति क्लस्टर अधिकतम अनुदान राशि को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए करने से भी कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा क्योंकि प्राप्त प्रस्तावों तक में भी 20 करोड़ रुपए की वर्तमान राशि पर्याप्त प्रतीत हो रही थी। हमने इकाइयों की संख्या 10 से घटाकर न्यूनतम 3 करने की सिफारिश स्वीकार कर ली है।"

3.18 मौखिक साक्ष्य के दौरान जब समिति ने यह पूछा कि क्या यह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य होगा यदि सुविधा साझा संबंधी केवल तीन इकाइयां हों, विभाग के सचिव ने यह बताया:–

> "ऐसी कंपनियां जो एसपीबीवी की सदस्य नहीं हैं द्वारा सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है अतः सामान्यतया दस कंपनियों के लिए एक साथ आकर एसपीबी बनाना कठिन है। जैसाकि हमें पर्याप्त प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे अतः शर्तों में छूट दी गई है। उन्होंने आगे यह बताया कि हमने विभिन्न पणधारियों से बात की है। एक समस्या भूमि की है। अतः, भूमि एक समस्या है। जहां तक अनुसंधान सुविधाओं का संबंध है दूसरी समस्या यह है कि अनेक लोग अपने रहस्यों को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। अतः, हमें इस योजना की संपूर्ण समीक्षा करनी है तथा उसके बाद यह देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हम तृतीय पक्ष मूल्यांकन करने वाले हैं। हमने चेन्नई में एक परियोजना को कार्यान्वित किया है। अतः, हम इस योजना की समीक्षा करेंगे।"

3.19 समिति ने साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता के रूप में पुनर्नामित योजना के अन्तर्गत क्या विशिष्ट संशोधन किए हैं। इसके लिए वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कितना बजट आवंटित किया गया है के बारे में पूछा तब विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:–

> "योजना में किए गए कुछ प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं:–
>
> यह शर्त कि एसपीवी सदस्यों के साथ एक स्पष्ट कानूनी इकाई (को-ऑपरेटिव सोसायटी, रजिस्टर्ड, सोसायटी, ट्रस्ट या एक कंपनी) है, जो प्रस्तावित क्लस्टर के 10-15 किमी के दायरे के भीतर स्थित हो, हटाई गई थी।"

- एक एसपीवी तैयार करने के लिए न्यूनतम 10 फार्मा यूनिटों की सीमा को घटाकर 3 फार्मा यूनिट कर दिया गया है जिसमें बल्क औषधि और मेडिकल डिवाइस यूनिट भी शामिल हो सकते हैं।
- एक नया खंड जिसमे यह कहा गया है कि 'बिना किसी निजी भागीदारी के जहां केवल राज्य सरकार या राज्य सरकार की एक एजेंसी आवेदक है, एसपीवी के गठन पर जोर नहीं दिया जा सकता है, इसके बजाय उन्हें बस एक एस्क्रो/टीआरए खाता बनाना चाहिए ताकि निधियों का उपयोग केवल परियोजना उद्देश्य के लिए किया जाए' को जोड़ा गया है।
- विभाग से निधियों का अंतरण करने के लिए एसपीवी द्वारा शेड्यूल वाणिज्यिक बैंकों के साथ-प्रोजेक्ट विशिष्ट ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की स्थापना को बदलकर एसपीवी द्वारा शेड्युल वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रोजेक्ट विशिष्ट करंट अकाउंट की स्थापना कर दिया गया था।''
- 'साझी सुविधाओं के लिए औषधि उद्योग' को सहायता योजना के लिए बजट आवंटन इस प्रकार हैः–

वित्तीय वर्ष 2018-10	वित्तीय वर्ष 2019-20
10.89 करोड़ रुपए	6.22 करोड़ रुपए

3.20 इस संशोधित योजना के लिए उद्योग की ओर से प्रतिक्रिया के संबंध में विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः–

> ''इंदुमती फार्मा प्रा.लि. (पुणे), महाराष्ट्र, मराठवाड़ा फार्मा क्लस्टर (औरंगाबाद), महाराष्ट्र, हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (बद्दी), हिमाचल प्रदेश और एम.पी. स्माल स्केल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इंदौर), मध्य प्रदेश से संशोधित योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इंदुमती फार्मा प्रा.लि., पुणे को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया था।''

(ख) साझा सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता और साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता

3.21 दो नई योजनाएं अर्थात् (एक) साझा सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता (दो) साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता शुरू की गई हैं तथा ये कार्यान्वयन के अपने शुरुआती चरणों में है। इन दो योजनाओं के कार्यनिष्पादन की योजना संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार योजना संचालन समिति (एसएससी) द्वारा निकटता से निगरानी की जा रही है। इन दोनों योजनाओं का मूल्यांकन देय समय में किया जाएगा।

3.22 'साझा सुविधा केंद्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग की सहायता' योजना की मुख्य विशेषताएं तथा साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता से किस प्रकार भिन्न है के संबंध में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः–

> ''साझी सुविधाओं के लिए बल्क ड्रग उद्योग की सहायता' योजना का लक्ष्य राज्य सरकारों/राज्य निगमों द्वारा प्रोत्साहित किसी भी आगामी बल्क ड्रग पार्क में साझी सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना को एकबारगी सहायता अनुदान के माध्यम से लागू किया जाएगा जो इस उद्देश्य के लिए नियुक्त राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए), को जारी किया जाएगा। साझी सुविधाओं के तहत कुछ सांकेतिक कार्यकलापों में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, कैप्टिव पावर प्लांट्स, स्टीम एंड कूलिंग सिस्टम्स, इनक्यूबेशन सुविधाएं, कॉमन लॉजिस्टिक सुविधाएं, एडवांस कॉमन टेस्टिंग सेंटर, रेगुलेटरी अवेयरनेस फैसिलिटेशन सेंटर और इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर शामिल हैं। इस योजना के लिए कुल 200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस श्रेणी के तहत सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए प्रति बल्क ड्रग पार्क सीएफसी या सीएफसी की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत है, जो भी कम हो।
>
> दूसरी ओर, 'साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग की सहायता' योजना के तहत अभिज्ञात अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को एक सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) के प्रारूप पर इस प्रयोजन के लिए स्थापित विभिन्न विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) को जारी किए जाने वाले एकबारगी सहायता अनुदान के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत सभी फार्मास्युटिकल्स इकाइयाँ एसपीवी बनाने और सामान्य सुविधाएं सृजित करने की पात्र हैं।
>
> बल्क ड्रग पार्क में साझी सुविधाओं के लाभ से पार्क की सदस्य इकाइयों द्वारा उत्पादित की जा रही बल्क ड्रग्स के उत्पादन की लागत में कमी लाने में सहयोग मिलेगा और पार्क में उत्पादन में वृद्धि से बल्क दवा के आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।''

3.23 औषध उद्योग के उद्यमियों के बीच इस योजना 'साझी सुविधाओं के लिए बल्क ड्रग उद्योग की सहायता' के लाभों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदमों तथा उद्योग की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः–

> ''विभाग ने देश के सभी राज्यों को योजना का लाभ उठाने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही, औषध विभाग ने पणधारकों के बीच विभाग की औषध उद्योग का विकास करने संबंधी योजना के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए नाईपर, हैदराबाद (बालानगर, मेडचल, मलकजगिरी, हैदराबाद-500037) में दिनांक 30.11.2018 को

एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसके अलावा, विभाग ने दिनांक 23.08.2019 को आयोजित फोरम ऑफ फार्मा एसोसिएशन की बैठक में योजनाओं पर एक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया और योजना के आगे सुधार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए फार्मा उद्योग संघों से सुझाव/विचार टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। अब तक, विभाग को आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। असम और आंध्र प्रदेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश को अपने प्रस्तावों की प्रस्तुति देने के लिए कहा गया है।''

3.24 उसी तरह समिति ने साझी सुविधा केंद्रों के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी पूछा। विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:–

''उप-योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(क) राज्य सरकार/राज्य निगमों द्वारा प्रवर्तित किसी भी आगामी मेडिकल डिवाइस पार्क के तहत आम सुविधाओं के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए अथवा सीएफसी की परियोजना लागत का 70%, जो भी कम हो, तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

(ख) इस योजना को इस प्रयोजन के लिए स्थापित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) जारी किए जाने वाले एकमुश्त अनुदान के माध्यम से लागू किया जाएगा। साझा सुविधाओं के अंतर्गत कुछ कार्यकलापों में कंपोनेंट टेस्टिंग सेंटर, इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंटरफेरेंस लेबोरेट्री, बायोमैटिरियल/बायोकम्पैटिवलिटि टेस्टिंग सेंटर, मेडिकल ग्रेड लो वैक्यूम माडफलडिंग केबिनेट माऊलडिंग इंजेक्शन माउलडिंग सेंटर्स, मेडिकल ग्रेड उत्पादों के लिए 2 डी डिजाइनिंग और प्रिंटिग, स्टिरिलाइजेशन एंड टोक्सीसिटी टेस्टिंग सेंटर, रेडियेशन टेस्टिंग सेंटर आदि शामिल हैं।

(ग) योजना का कुल आकार वर्ष 2018-2020 के लिए 100 करोड़ रुपए के रूप में प्रस्तावित है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायता अनुदान की अधिकतम सीमा प्रत्येक मेडिकल डिवाइस पार्क सीएफसी के लिए 25 करोड़ रुपये अथवा सीएफसी के लिए 25 करोड़ रुपये अथवा सीएफसी की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत इनमें से जो कम हो, होगी।

(घ) योजना संचालन समिति (एसएससी) द्वारा किसी परियोजना के लिए सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन एसआईए/राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक प्रस्ताव के आधार पर दिया जाएगा जिसमें प्रस्तावित परियोजना की प्रमुख विशेषताओं और भूमि की उपलब्धता को कवर किया जाएगा। सैद्धान्तिक रूप से दिया गया यह अनुमोदन इसे अनुमोदित किए जाने से 6 महीने की अवधि के लिए मान्य होगा। इस समय में परियोजना अंतिम अनुमोदन के लिए तैयार हो जानी चाहिए।

(ङ) डीपीआर और परियोजना की प्रकृति के आधार पर, परियोजना के कार्यान्वयन और विभाग द्वारा बाद में निधियों की निर्मुक्ति के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश एसआईए द्वारा तैयार किए जाएंगे और इन्हें एसएससी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अनुमोदित किया जाएगा।

इस उप-योजना का लक्ष्य देश में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है।''

3.25 जब समिति ने इन योजनाओं के लिए केवल 0.02 करोड़ रुपए के आवंटन हेतु औचित्य के संबंध में पूछा तब विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः—

''दोनों योजनाएं नई होने के कारण सहायता अनुदान में इन्हें केवल टोकन राशि ही आवंटित की गई है। हालांकि, इन दोनों योजनाओं में प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। चूंकि ये दोनों उप-योजनाएं एकछत्र योजना के तहत हैं, इसलिए अन्य उप-योजनाओं की निधियों का उपयोग किया जा सकता है। संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त धन की मांग भी की जाएगी।''

3.26 मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने विशिष्ट रूप से यह पूछा कि क्या केवल 2 लाख रुपए का आवंटन 'साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता' संबंधी महत्वपूर्ण उप-योजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त है, विभाग के सचिव में निम्नवत् उत्तर दियाः—

''महोदया, जहां तक चिकित्सा उपकरणों का संबंध है आप ठीक हो तथा स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कारण अधिकांश राज्यों ने गरीब लोग, यदि वे स्टेंट अथवा घुटने के प्रत्यारोपण अथवा कोई अन्य चीजें चाहते हैं, की मदद करने के मद्देनजर विभिन्न नीतियां तथा कार्यक्रम बनाए हैं। परीक्षण संबंधी सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। अतः, हमें अनेक चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता है। जहां तक ड्रग्स का संबंध है हम प्रतिस्पर्धात्मक युग में है। भारत में चिकित्सा उपकरणों की अत्यधिक मांग है। अतः, हमें उनका आयात करना है। हम 14400 करोड़ रुपए के चिकित्सा उपकरणों का भी निर्यात कर रहे हैं। परंतु हमारा आयात 37,800 करोड़ रुपए का है। अतः, हमें इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है तथा उसके लिए स्वभावतः यह योजना बनी है। परंतु इस योजना को शुरू नहीं किया गया है।

''महोदया, विगत बैठक में मैंने आपको बताया था कि सैद्धांतिक रूप से चार को अनुमोदन दिया गया है। हम राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करेंगे। उपकरण, प्रयोगशाला तथा परीक्षण संबंधी सुविधाएं बहुत ही महंगी हैं। बड़े लोग इनका वहन कर सकते हैं परंतु एमएसएमईएस इनका वहन नहीं कर सकते हैं। यदि हम आयातों पर निर्भरता कम करना चाहते हैं तो हमें उन्हें वह सुविधाएं

देने की जरूरत है। इसलिए हम एक जगह पर पैक में आम उपयोगकर्ता संबंधी सुविधा प्रदान करेंगे ताकि उन्हें दूरी वाली जगहों पर जाना न पड़े। कुछ मामलों में आपको मुंबई जाना होगा। इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट परियोजना संबंधी कार्य किया है। इस परियोजना के अंतर्गत उन्होंने 220 करोड़ रुपए तक की सुविधाएं प्रदान की हैं तथा विभिन्न मंत्रालयों से समर्थन ले रहे हैं। हम भी उनका वित्तपोषण कर रहे हैं। उन्हें पहले ही कई इकाइयों मिल गई हैं तथा और ज्यादा इकाइयां सामने आएंगी। जापान भी इसमें निवेश करने में रूचि दिखा रहा है। यदि, आपके पास सुविधाएं हैं तो लोग आयेंगे। उदाहरण के लिए भारत में आरएमआई सुविधाएं। हमारे पास उस तरह की सुविधा नहीं है। वर्तमान में हम शत-प्रतिशत चीन पर निर्भर हैं। अतः वह सुविधा भी हमें मिल रही है जिसका हम वित्तपोषण कर रहे हैं। महोदया, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें इस योजना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस वर्ष हम पर्याप्त रूप से प्रावधान बनाएंगे तथा हम इसे सफल बनाएंगे।''

(ग) औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस):

3.27 इस उप-योजना का उद्देश्य लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों (एसएमई)—को उनके संयंत्र और मशीनरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)/गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) मानकों पर अपग्रेड करने के लिए सुविधाजनक बनाना है ताकि उन्हें वैश्विक बाजारों में भाग लेने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम किया जा सके। प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड के 250 फार्मा एसएमई को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना सरकार द्वारा अभिनिर्धारित एक सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान (पीएसएफआई) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के लिए 144 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रौद्योगिकी/अवसंरचना उन्नयन के लिए ऋणों पर ब्याज सबवेंशन की ऊपरी सीमा तीन वर्ष की अवधि के लिए शेष आधार पर कम करने पर प्रति वर्ष 6 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। इस प्रयोजन के लिए संबंधित एसएमई द्वारा लिया गया उपयुक्त अधिकतम ऋण 4 करोड़ रुपए होगा।

3.28 कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करने में देरी के कारणों तथा समयबद्ध तरीके से एजेंसी की पहचान के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने यह बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों का चयन करने के लिए पहले एक विज्ञापन दिया गया था क्योंकि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, सिडबी से फिर से संपर्क किया जा रहा है।

अध्याय चार

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

4.1 औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) आते हैं। पांच उपक्रमों में से दो अर्थात् इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) एवं हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (एचएएल) रूग्ण हैं। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) ने वर्ष 2013-14 से घाटा दर्ज किए जाने की सूचना दी और आरंभ से रूग्ण है। कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) एवं बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई हैं।

4.2 आईडीपीएल, आरडीपीएल, एचएएल, बीसीपीएल और केएपीएल की वर्तमान वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:–

(I) तीन वर्षों के लिए आईडीपीएल का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(रुपए करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19
1. कुल मूल्य	-7,302.79	-7,464.66	-7,624.18
2. कारोबार (सकल)	74.79	39.16	33.96
3. लाभार्जन (कर से पहले)	-3.91	-16.85	-13.25
4. लाभार्जन (कर के बाद)	-3.91	-16.85	-13.25
5. कुल लाभ/हानि	-153.38	-164.57	-159.22

(II) तीन वर्षों के लिए आरडीपीएल का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(रुपए करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19
1. कुल मूल्य	-39.53	-54.78	-69.88
2. कारोबार	7.66040	-0.40	-0.14
3. लाभार्जन (कर से पहले)	-14.88	-15.25	-15.10
4. लाभार्जन (कर के बाद)	-14.88	-15.25	-15.10
5. कुल लाभ/हानि	-14.88	-15.25	-15.10

(III) तीन वर्षों के लिए एचएएल का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(रुपए करोड में)

	2016-17	2017-18	2018-19
1. कुल मूल्य	-566.54	-358.60	-430.58
2. कारोबार	10.73	35.21	66.85
3. लाभार्जन (कर से पहले)	-78.24	-68.58*	-71.10
4. लाभार्जन (कर के बाद)	-78.24	-68.58*	-71.10
5. कुल लाभ/हानि	-78.24	-68.58*	-71.10

* 208.32 करोड़ रुपए का निवल लाभ, आय की असामान्य मद का परिणाम है अर्थात् भारत सरकार द्वारा 186.96 करोड़ रुपए के इसके योजना एवं योजनेत्तर ऋणों और इन पर 89.94 करोड़ रुपए के ब्याज, कुल रूप से 276.90 करोड़ रुपए की माफी घटा 68.58 करोड़ रुपये की परिचालन हानि।

(IV) तीन वर्षों के लिए बीसीपीएल का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(रुपए करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19
1. कुल मूल्य	-102.10	-92.04	-66.78
2. कारोबार	85.36	78.01	100.50
3. सकल मार्जिन से पहले का लाभार्जन (पीबीडीआईटी)	24.05	24.23	32.83
4. सकल मार्जिन के बाद का लाभार्जन (पीबीडीआईटी)	24.05	24.23	32.83
5. शुद्ध लाभ	4.51	10.06	25.26

(V) तीन वर्षों के लिए केएपीएल का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(रुपए करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19
उत्पादन	405.51	366.82	411
बिक्री कारोबार	386.27	353.83	376
परिचालन लाभ	43.35	20.59	16.50
निवल लाभ	30.33	14.55	19.00

4.3 औषध विभाग के सचिव ने 22.10.2019 को अनुदानों की मांगों 2019 पर मौखिक साक्ष्य के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने/रणनीतिक बिक्री पर केबिनेट के निम्नलिखित निर्णयों के बारे में पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन के दौरान समिति को बतायाः—

→ 28.12.2016 को केबिनेट ने इसके लिए निर्णय लिया।

→ एचएएल, आईडीपीएल, आरडीपीएल और बीसीपीएल की अधिशेष भूमि को सरकारी एजेंसियों को बेचना।

→ अधिशेष भूमि की आय से देयताओं की प्राप्ति और तत्पश्चात् आईडीपीएल तथा आरडीपीएल को बंद किया जाना और एचएएल तथा बीसीपीएल की रणनीतिक बिक्री।

→ 17.07.2019 को केबिनेट ने इसके लिए निर्णय लिया।

→ पहले वाले निर्णय को संशोधित करना और 14.06.2018 को संशोधित डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि की बिक्री की अनुमति।

→ आईडीपीएल, आरडीपीएल और एचएएल कर्मचारियों हेतु कर्मचारियों की देनदारियों (अवैतनिक वेतन+वीआरएस) की प्राप्ति के लिए 330.35 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान करना।

→ संपत्ति की बिक्री और बकाया देनदारियों की मंजूरी सहित बंद करने/ रणनीतिक बिक्री से संबंधित सभी निर्णयों को लेने हेतु मंत्रियों की समिति का गठन।

4.4 तत्पश्चात् सचिव ने समिति को बताया कि केबिनेट निर्णय के संबंध में अनुगामी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पीएसयू को बंद किए जाने के कारणों के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर सचिव ने समिति को मौखिक साक्ष्य के दौरान इस प्रकार बतायाः—

> ''महोदय, आरडीपीएल सहित आईडीपीएल और एचएएल अत्यधिक हानि में हैं। एचएएल के संबंध में रणनीतिक बिक्री का निर्णय लिया गया जिसका अर्थ है कि इसके यंत्रों और मशीनों को प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से निर्माताओं को बेचा जाएगा। जहां तक आईडीपीएल और आरडीपीएल का संबंध है, हम इनका विक्रय कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि हमें इनकी संपत्तियों को बेचना होगा और देनदारियों की प्राप्ति करनी होगी।''

4.5 तत्पश्चात् समिति ने पीएसयू को बंद किए जाने के मामले में कर्मचारियों के बकाया की अदायगी के बारे में पूछा। सचिव ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत बतायाः—

> ''समिति ने पहले ही एक निर्णय ले लिया है कि उन्हें भुगतान करना चाहिए। इसलिए हमने फाइल को वित्त मंत्रालय को प्रेषित किया था। उन्होंने हमें सं. अ.

में आवश्यक प्रस्ताव बनाने हेतु कहा और हम वह प्रस्ताव पहले ही बना चुके हैं। हमने उनसे हमें एकमुश्त अनुदान देने हेतु आग्रह भी किया है जिससे कि हम सं.अ. की स्वीकृति से भी पहले ही वेतन और अन्य बकाया का भुगतान कर सके।''

4.6 समिति ने मत्रिमंडल द्वारा यथानिर्धारित एचएएल और बीसीपीएल में विनिवेश की स्थिति के बारे में भी पूछा तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:—

''मंत्रिमंडल ने सरकारी एजेंसियों को एचएएल और बीसीपीएल की अधिशेष भूमि की बिक्री से लेकर देयताएं पूरी करने के बाद एचएएल और बीसीपीएल की कार्यनीतिक बिक्री के लिए निर्णय लिया मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में, विभाग ने दिनांक 31.01.2017 को दोनों कंपनियों के लिए मूल्यांकन समितियों का गठन किया था। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने दिनांक 16/17.03.2017 को अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का भी गठन किया था। डीआईपीएएम ने बाद में विभाग को दिनांक 14.12.2017 को सूचित किया कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की भूमि की बिक्री और देनदारियों के निपटान के बाद विनिवेश संबंधी सचिवों के कोर समूह को कार्यनीतिक विनिवेश के तरीके और मात्रा मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों पर नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीसीईए को इस मामले में अपनी सिफारिश देने के लिए अवगत कराया जाएगा। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की भूमि की बिक्री के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसके बाद, दिनांक 17.07.2019 को मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक उपक्रमों की भूमि को डीपीई के दिशा-निर्देशों दिनांकित 14.06.2018 के अनुसार बेचा जाना चाहिए। मंत्रिमंडल के निर्णय के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभाग अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।''

4.7 समिति ने बीसीपीएल की बिक्री के कारणों के बारे में पूछा तब सचिव, औषध विभाग ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:—

''हम पहले ही कार्यनीतिक बिक्री के लिए निर्णय ले चुके हैं। वर्तमान में, उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। अतः यह मामला रुका हुआ है।''

4.8 समिति को नीति आयोग की सिफारिशों पर आधारित 01.11.2017 की आर्थिक मामलों संबंधी केबिनेट समिति के अनुमोदन के साथ केएपीएल में कार्यनीतिक विनिवेश के बारे में भी बताया। इस संबंध में समिति को सर्वसम्मत विचार था कि इस लाभ अर्जन करने वाले पीएसयू पर विनिवेश नहीं किया जा सकता और मंत्रालय के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि समिति के विचार नीति आयोग के समक्ष पहुचाएं।

4.9 समिति के उपर्युक्त विचारों के संबंध में विभाग ने निम्नवत बताया:—

"विभाग केएपीएल के विनिवेश के बारे में समिति के विचारों से सहमत है। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि विभाग ने केएपीएल को किसी भी स्तर पर विनिवेश करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है, यह स्थापना के समय से ही लाभ कमाने वाली कंपनी है; अन्य चार सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री/बिक्री के बाद एकमात्र केंद्रीय फार्मा पीएसयू बचेगा; विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में इसकी भूमिका; अन्य आपदाओं और महामारी के प्रकोप आदि के समय आवश्यक दवा की आपूर्ति के लिए कम से कम एक फार्मा पीएसयू की आवश्यकता होती है।

हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के फैसले/आदेश के मद्देनजर, बाद में केएपीएल को घरेलू खपत के लिए 'ऑक्सीटोसिन' का एकमात्र निर्माता और वितरक होने के लिए जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 27.04.2018 को इस संबंध में निजी क्षेत्र की कंपनियों को घरेलू खपत के लिए ऑक्सीटोसिन के निर्माण पर रोक लगाते हुए अधिसूचना जारी की। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.12.2018 के अपने आदेश के तहत इसको रद्द कर दिया। मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

अन्य कारणों के बीच केएपीएल द्वारा ऑक्सीटोसिन के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण के निर्देश के मद्देनजर निर्णय पर पुर्नविचार के लिए वित्त मंत्री और उपाध्यक्ष, नीति आयोग के साथ मंत्री (रसायन और उर्वरक) के स्तर पर कई बार मामले को उठाया गया है।

न्यायालय के निर्णय तक केएपीएल के कार्यनीतिक विनिवेश को रोककर रखने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने न्यायालय को सूचित किया है कि विनिवेश के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा यदि सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ऑक्सीटोसिन के विनिर्माण की सरकार की योजना को उच्चतम न्यायालय की पुष्टि प्राप्त हो जाती है।"

4.10 औषध विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान जब समिति ने बीसीपीएल और केएपीएल जैसी लाभार्जन करने वाले पीएसयू की रणनीतिक बिक्री और विनिवेश के मुद्दे को उठाया तब औषध निर्माण के सचिव ने निम्नवत उत्तर दिया:—

"यह पीएसयू की सामान्य नीति है कि उन्हें या तो विनिवेश करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए या फिर उनकी रणनीतिक बिक्री कर देनी चाहिए। वास्तव में हमारे विभाग का विचार बीसीपीएल और केएपीएल के संबंध में थोड़ा भिन्न था। केएपीएल और बीसीपीएल के संबंध में हमारा विचार है कि इन्हें जारी रखना चाहिए।"

4.11 इसके पश्चात् विभाग के अन्य प्रतिनिधि ने भी विभाग के सचिव द्वारा दिए गए विचार का समर्थन किया जो इस प्रकार है:–

> ''जैसा कि सचिव महोदय ने बताया कि केएपीएल एक भिन्न मुद्दा है। अन्य चार पीएसयू के लिए विभाग को उनके निर्णय हेतु केबिनेट के पास जाना पड़ा। केएपीएल एक लाभार्जन वाली इकाई था। इसलिए इसे बंद करने या इसे बेचने के इच्छुक हम कभी नहीं थे। वास्तव में नीति आयोग ने इन सभी पीएसयू की बिक्री इन्हें बंद करने और विनिवेश की सिफारिश के लिए एक समिति स्थापित की थी। नीति आयोग ने मूलतः देश में सभी पीएसयू को श्रेणीबद्ध किया था। उन्होंने एक उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र के अनुसार श्रेणीबद्ध किए जा सकने या न किए जा सकने के आधार पर विभिन्न सीमाएं स्थापित कीं। उन्होंने कहा कि औषध क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है। जैसा कि हमने अपने प्रारंभिक स्लाइड में बताया कि हम वैश्विक फार्मेसी हैं। देश में निजी औषध क्षेत्र अत्यधिक बढ़ा है। उद्योग द्वारा लगभग 50% उत्पादन किया जाता है। अतः नीति आयोग को लगा कि कम से कम लाभ अर्जित करने वाली औषध इकाइयों को रणनीतिक रूप से बेचा जाना चाहिए।
>
> केएपीएल के मामले में विभाग को केबिनेट के पास जाना पड़ा। नीति आयोग की सिफारिश के आधार पर डीआईपीएएम, सीसीईएम के समक्ष गया और उन्होंने सिफारिशें बनाई। सीसीईए के समक्ष जाने से पहले और सीसीईए की सिफारिशों के पश्चात् जब विभाग की टिप्पणियां मिलीं तब तक हम मंत्री स्तर तक हमेशा ही केएपीएल के विनिवेश के विरुद्ध थे। इसके बाद, केएपीएल को देश में ऑक्सीटोसिन के एकमात्र निर्माता और वितरक का उत्तरदायित्व दिया गया। इसके आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की और ऑक्सीटोसिन उत्पादक सभी निजी निर्माताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए। निजी निर्माता न्यायालय में गए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना खारिज हुई। मंत्रालय पुनः न्यायालय में गया और यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। सरकार ने एक वचन दिया कि केएपीएल के साथ ऑक्सीटोसिन के निर्माण के निर्णय के मामले में सरकार केएपीएल के विनिवेश नहीं करेंगी। यह वर्तमान स्थिति है। मामला वर्तमान में न्यायालय में है।''

अध्याय पांच

सांविधिक निकाय — राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर)

5.1 नाईपर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है जो स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करते हैं, औषध विज्ञान के विभिन्न विषयों में शोध करते हैं। इस समय 7 नाईपर हैं जो मोहाली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, हाजीपुर, रायबरेली, कोलकाता और हैदराबाद में स्थित हैं।

5.2 विभाग ने आगे अपने लिखित उत्तर में यह भी बताया कि नाईपर, मोहाली वर्ष 1998 में स्थापित होने वाला पहला संस्थान था और इसका अपना केंपस, नियमित संकाय और सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। अन्य छह नाईपर वर्ष 2007-08 में मेंटर इंस्टीट्यूट्स के रूप में स्थापित हुए। उसमें केवल निदेशक का ही एक नियमित पद है। अन्य संकाय और प्रशासनिक पद ठेके पर हैं।

तब से ही सभी नाईपरों की भूमि का आवंटन संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। सभी नाइपरों पर निदेशक के पद भरे जा चुके हैं। प्रत्येक नाईपर के बोर्ड ऑफ गवर्नर (बीओजी) का गठन किया गया है। नियमित संकाय और प्रशासनिक पदों का सृजन किया गया है, उनके भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया गया है और भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पद दिसंबर 2019 तक भरे जाने हैं।

5.3 विभाग ने अपने लिखित उत्तर में पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भवन और तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण में प्रगति का नाईपर-वार विवरण निम्नलिखित दियाः—

> ''सभी नाईपरों को उनके नियमित परिसर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है। अब तक, नाईपर, गुवाहाटी के परिसर का लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नाईपर, अहमदाबाद ने परिसर के डिजाइन को अंतिम रूप दिया है और हाल ही में निविदा जारी की है। वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त धन के प्रावधान के अध्यधीन, परिसरों का निर्माण कार्य जनवरी, 2020 तक शुरू हो जाएगा। अन्य नाईपरों के मामले में, हालांकि ईएफसी ने मार्च, 2020 तक निर्माण कार्य को स्थगित करने का फैसला किया है, व्यक्तिगत संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे अपने परिसर की ड्राईंग को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाएं ताकि परिसरों का निर्माण कार्य ईएफसी के अनुमोदन पर तुरंत शुरू हो सके। विभाग ने नाईपरों के लिए सामान्य नवीनतम तकनीक वाले उपकरणों की खरीद के लिए सभी नाईपरों की एक सामान्य खरीद समिति का गठन किया है ताकि समान मानक और प्रतिस्पर्धी दरें हों। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बुनियादी

ढांचे, उपकरणों और निर्माण पर खर्च की गई निधि का नाईपर-वार विवरणः–

(रुपए करोड़ में)

नाईपर	बुनियादी ढांचा	उपकरण	निर्माण
अहमदाबाद	1.50	1.50	-
गुवाहाटी	0.30	3.70	24.00
हाजीपुर	0.60	2.85	-
हैदराबाद	-	4.00	-
कोलकाता	-	5.00	-
रायबरेली	1.90	3.10	-
कुल	4.30	20.15	24.00

5.4 पिछले तीन वर्षों में नाईपरों द्वारा किए गए व्यय सहित वर्ष-वार योजना गतिविधियां तथा ब.अ. और सं.अ. निम्न प्रकार हैंः–

(रुपए करोड़ में)

योजना का नाम	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
नाईपर			
2016-17	127.48	127.48	127.48
2017-18	127.73	151.66	180.77
2018-19	135.0	135.0	135.0
30.9.2019 की स्थिति के अनुसार वास्तविक	150.0		96.44

5.5 व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा अनुमोदित धनराशि के बारे में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः–

> "व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि में 959.53 करोड़ रुपए की कुल लागत से छह नाईपरों नामतः गुवाहाटी, गांधीनगर, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता और रायबरेली के विस्तार और सदृढ़ीकरण की सिफारिश की है। इसमें से, व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने नाईपरों (अहमदाबाद और गुवाहाटी) में नियमित परिसरों के निर्माण के लिए 103.88 करोड़ रुपए

प्रत्येक के लिए प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करने के लिए नाईपरों (अहमदाबाद, गुवाहाटी और हैदराबाद) को 100.00 करोड़ रुपए प्रत्येक और नाईपरों (हाजीपुर, कोलकाता और रायबरेली) को 55.00 करोड़ रुपए प्रत्येक की दर से सिफारिश की है।''

5.6 इसके अतिरिक्त जब समिति ने यह पूछा कि क्या 150 करोड़ रुपये की आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के दौरान नाईपर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः—

''विभाग ने ब.अ. 2019-20 में सात नाईपरों के लिए 250.00 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने ब.अ. 2019-20 में नाईपरों को 150.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय आवंटन पर्याप्त नहीं है। विभाग ने छह नाईपरों में संकाय और गैर-संकाय के नियमित पदों को भरने के लिए वित्त मंत्रालय को ईएफसी में यथा स्वीकृत 300.00 करोड़ रुपए (जीआईए-जनरल में 25.00 करोड़ रुपए) और छह नाईपरों के लिए उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए और नाईपर गुवाहाटी परिसर का निर्माण पूरा करने और नाईपर अहमदाबाद परिसर का निर्माण शुरू करने के लिए 275.00 करोड़ रुपए शीघ्र आवंटित करने का अनुरोध किया है।''

5.7 इस संबंध में औषध विभाग के सचिव ने समिति को विभाग की अनुदानों की मांगों 2019-20 पर मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत् बतायाः—

''जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम पुनः ईएफसी के समक्ष जा रहे हैं कि हमें शेष सभी नाइपरों में सुसज्जित कैंपस स्थापित करने की अनुमति मिलनी चाहिए। क्योंकि यदि हमारे पास कैंपस नही हुआ तो हमें मिले हुए जनादेश के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।''

5.8 जब समिति ने नाईपरों के लिए ईएफसी द्वारा स्वीकृत की गई पूरी धनराशि आवंटित किए जाने पर वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहा तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः—

''ईएफसी ने दिनांक 26.03.2018 को आयोजित अपनी बैठक में 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए 959.53 करोड़ रुपए अनुमोदित किए थे। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान नाईपरों को 180.77 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नाईपरों को 135.00 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 150.00 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। बाद में, हाल ही में, विभाग ने वित्त मंत्रालय को 300.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करने का अनुरोध किया हैं। प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास लंबित है।''

5.9 आगे औषध विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान विभाग के सचिव ने समिति के समक्ष यह भी बताया कि प्रत्येक नाईपर को इमारत के निर्माण और प्रत्येक कैंपस में विश्व स्तर के अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु लगभग 200-250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

5.10 राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्था (नाईपर) के आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) की स्थिति के विषय में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः–

(रुपए करोड़ में)

शीर्ष	मोहाली	अहमदाबाद	रायबरेली	हाजीपुर	कोलकाता	हैदराबाद	गुवाहाटी
आंतरिक संसाधन	7.35	1.31	0.67	0.64	1.20	2.60	0.93
अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.0074	शून्य	शून्य	0.10
कुल	7.35	1.31	0.67	0.6573	1.20	2.60	1.03

5.11 नाईपर विशेषकर रायबरेली, हाजीपुर और गुवाहाटी द्वारा आईईबीआर के कम उत्पन्न होने के कारणों के संबंध में नाईपर मोहाली और हैदराबाद को छोड़कर, अन्य सभी नाईपर छात्रों से फीस और कंसल्टेंसी से न्यूनतम राशि के माध्यम से आंतरिक संसाधनों का बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर संस्थाओं के पास उपकरण/मशीनरी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। नाईपर रायबरेली, हाजीपुर और गुवाहाटी में अन्य नाईपरों की तुलना में बहुत कम छात्र हैं, इसलिए उनके द्वारा सृजित आईईबीआर कम है। इसके अलावा, इन संस्थानों में सुसज्जित प्रयोगशालाओं की कमी है, जो अन्य नाईपरों के लिए राजस्व सृजित करने का भी एक स्रोत है।

5.12 सभी नाईपरों के आईईबीआर को बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः–

> "ईएफसी ने (अहमदाबाद और गुवाहाटी) में नाईपर के नियमित परिसरों के निर्माण के लिए 103.88 करोड रुपए, नाईपर (अहमदाबाद, गुवाहाटी और हैदराबाद) में प्रयोगशालाओं के सुसज्जितकरण करने के लिए 100.00 करोड़ रुपये और नाईपर (हाजीपुर, कोलकाता और रायबरेली) में प्रत्येक के लिए 55.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। व्यय विभाग ने छह नाईपरों में संकाय और अन्य प्रशासनिक स्टाफ के नियमित पदों को भी मंजूरी दे दी है। यह उम्मीद की जाती है कि पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निर्माण और नियमित संकाय की नियुक्ति के बाद, नाईपर अधिक संसाधन उत्पन्न करेंगे। विभाग ने व्यय विभाग से 300.00 करोड़ रुपए (ईएफसी द्वारा अनुमोदित 960 करोड़ रुपए में से) मांगे हैं ताकि

प्रत्येक नाईपर में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं बनाई जा सकें। दिनाक 19.09.2019 को सचिव की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में, सभी नाईपरों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि संचालन समिति के पहले के निर्णय के अनुसार आत्मनिर्भरता और परिचालन खर्चों के भाग के सृजन के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएं। आगे यह निर्णय लिया गया था कि संस्थानों को प्रति वर्ष ट्यूशन फीस को संशोधित करने और छात्रों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं के व्यवहार्य शुल्क वसूलने के लिए कदम उठाने चाहिए। यह निर्णय लिया गया था कि व्यक्तिगत नाईपर को शैक्षणिक उद्योग लिंकेज विकसित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा, उन्हें उद्योग, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के लिए अल्पकालिक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए। नाईपरों को परियोजना और परामर्श कार्य करना चाहिए और उपयोगकर्ता प्रभारों के भुगतान पर अपने नवीनतम (हाई-एंड) उपकरणों का उपयोग करने के लिए और उद्योग को अनुमति भी देनी चाहिए। संस्थानों को राजस्व सृजन के लिए विदेशी छात्रों के प्रवेश की आवश्यकता के बारे में सलाह दी गई। उन्हें जनवरी, 2020 में आयोजित होने वाले आगंतुक सम्मेलन के दौरान भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुति के लिए आईईबीआर के सृजन पर एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया गया था। इसके अलावा, इस मामले की जाँच करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के बाद आईईबीआर उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों पर एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।''

5.13 तमिलनाडु (मदुरै), छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में नए नाईपरों की स्थापना की वर्तमान स्थिति के विषय में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः—

''ईएफसी ने अपनी बैठक दिनांकित 26.03.2018 में मदुरै में और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में मार्च, 2020 तक अर्थात् अगली वित्त आयोग अवधि तक चार नए नाईपरों की स्थापना को स्थगित करने का निर्णय लिया था। विभाग नियत समय में व्यय विभाग के साथ मामला उठाएगा।''

5.14 वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए वित्तीय आवंटन के संबंध में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः—

''चूंकि नए नाईपरों की स्थापना को स्थगित कर दिया गया था, इसलिए कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया था और यह भी बताया कि इन नाईपरों की स्थापना के लिए विभाग/मंत्रालय द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।''

5.15 मदुरै, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित चार नए नाईपरों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में औषध विभाग के सचिव ने मौखिक साक्ष्यों के दौरान निम्नवत् बताया:–

> ''वास्तव में विगत वर्ष ईएफसी द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि सर्वप्रथम हमें मौजूदा नाईपरों के कार्य को मजबूत करना चाहिए फिर हमें वित्त मंत्रालय के पास जाना चाहिए। हमने शेष स्थानों हेतु कार्य करना भी निर्धारित किया है। उन्होंने हमें बताया कि सर्वप्रथम हमें मार्च, 2020 तक मौजूदा नाईपरों को मजबूत करना चाहिए।''
>
> इस संबंध में मंत्रालय के एक अन्य प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि:–
>
> ''इसलिए हम मार्च, 2020 के पश्चात् इन चार नाईपरों हेतु वित्त आयोग से फिर से संपर्क करेंगे।''

5.16 इन सभी बाधाओं के बावजूद, अब तक, तीन नाईपरों मोहाली, हैदराबाद और अहमदाबाद को क्रमशः 'फार्मा' श्रेणी के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2019 में क्रमशः 3, 6 और 9 वें स्थान पर रखा गया है। इन संस्थानों ने 3500 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और 200 से अधिक पेटेंट दायर किए हैं।

नाईपर विधानों में संविदात्मक अनुसंधान और संकाय द्वारा परामर्श और तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उदार प्रावधान हैं। नियमित संकाय के कार्यभार ग्रहण करने के साथ, वे इसका लाभ उठा सकेंगे। नीति आयोग ने एक आउटपुटः निर्दिष्ट संकेतकों के अनुसार नाईपरों के निष्पादन के आधार पर तिमाही/वार्षिक आधार पर आउटकम आधारित रूपरेखा और समीक्षा तैयार किया है।

ईएफसी ने प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त धनराशि की मंजूरी दी है, जो अनुसंधान और विकास में मदद करेगी और साथ ही उद्योग को सुविधाएं प्रदान करके नाईपरों के लिए राजस्व सृजन के स्रोत के रूप में कार्य करेगी।

5.17 विभाग ने वर्ष 2019-20 की अनुदानों की मांगों पर अपनी प्रारंभिक सामग्री में दायर पेटेंटों का विवरण और नाईपरों द्वारा प्रकाशित शोध पत्र उपलब्ध करवाए हैं जो निम्नलिखित हैं:–

क्र. सं.	नाईपर	प्रकाशित शोध पत्र	दायर किए गए पेटेंट
1.	मोहाली	2386	187
2.	हैदराबाद	523	12

क्र. सं.	नाईपर	प्रकाशित शोध पत्र	दायर किए गए पेटेंट
3.	कोलकाता	79	0
4.	गुवाहाटी	106	2
5.	रायबरेली	78	0
6.	अहमदाबाद	280	6
7.	हाजीपुर	4	0
	कुल	3457	214

5.18 समिति ने पाया कि नाईपर, मोहाली को छोड़कर, प्रकाशित शोध पत्रों और दायर किए गए पेटेंट के संबंध में अन्य सभी नाईपरों का निष्पादन अच्छी हालत में नहीं है और उन्होंने इसके कारणों और उठाए जा रहे/प्रस्तावित ठोस कदमों के बारे में पूछा तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः–

> "उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़े संचयी हैं। नाईपर, मोहाली वर्ष 1998 से पूरी तरह से चालू हो गया है जबकि अन्य नाईपर संरक्षक (मेंटर) संस्थानों की मदद से 2007-08 से चालू हो गए। इन नए नाईपरों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और नियमित शैक्षिक और अन्य स्टाफ का अभाव है। नाईपर, मोहाली में नियमित संकाय है जबकि अन्य नाईपर संविदात्मक संकाय की मदद से चल रहे हैं। एक बार जब अन्य नाईपर में नियमित संकाय भर लिए जाएंगे और उन्हें पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी, तो शोध पत्रों के प्रकाशन की संख्या और पेटेंट दायर करने की संख्या बढ़ जाएगी।"

5.19 संकाय पदों को भरने संबंधी नाईपर-वार प्रगति के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः–

> "नाईपर मोहाली में नियमित स्वीकृत पद हैं। अन्य छह नाईपरों में, जनवरी 2019 में नियमित संकाय पद सृजित किए गए हैं और इन सभी पदों के भर्ती नियमों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया गया है। नाईपर अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली ने पहले ही पदों को भरने के लिए विज्ञापन दे दिया है। नाईपर, हाजीपुर पदों के विज्ञापन की प्रक्रिया में है। नाईपर नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार पदों को भरेंगे और छात्र संकाय अनुपात 12: 1 पर विचार करेंगे। उम्मीद है कि दिसंबर, 2019 तक नाईपरों द्वारा सभी पद भर लिए जाएंगे।"

5.20 नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी नाईपरों में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए गठित शीर्ष परिषद की संरचना के बारे में जब समिति ने पूछा तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बतायाः–

"नाईपरों के सामान्य मुद्दों के पर्यवेक्षण के लिए सचिव (औषध) की अध्यक्षता में अस्थायी रूप से शीर्ष परिषद का गठन किया गया है। संरचना इस प्रकार हैः–

i. सचिव, औषध विभाग — अध्यक्ष

ii. सभी नाईपरों के शासी निकाय के अध्यक्ष — सदस्य

iii. सभी नाईपरों के निदेशक — आमंत्रित (जहां आवश्यक हो)

iv. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, औषध विभाग — सदस्य

v. संयुक्त सचिव, नाईपर औषध विभाग — सदस्य-संयोजक

नीति आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए आईआईटी की तर्ज पर माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) की अध्यक्षता में नाईपर अधिनियम में शीर्ष परिषद शामिल करने के लिए नाईपर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे। विभाग नाईपर अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया में है।"

अध्याय छह

स्वतंत्र निकाय — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)

6.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), रसायन और उर्वरक मंत्रालय में विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र संख्या 159, दिनांक 29.08.1997 में प्रकाशित संकल्प के तहत की गई थी। एनपीपीए के कार्यों में, अन्य बातों के साथ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के अंतर्गत अनुसूचित सम्मिश्रणों के मूल्यों का निर्धारण एवं संशोधन तथा साथ ही मूल्यों की मॉनीटरिंग और प्रवर्तन शामिल है। एनपीपीए सरकार को औषध नीति तथा दवाओं की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित मुद्दों के बारे में इनपुट प्रदान करता है।

6.2 22.10.2019 को समिति के समक्ष औषध विभाग के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्यों के दौरान घरेलू औषध बाजार की लगभग 82 प्रतिशत गैर-अनुसूचित दवाओं के मूल्य नियंत्रण पर समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में औषध विभाग के सचिव ने इस प्रकार बताया:—

> ''हम केवल एनएलईएम द्वारा अधिसूचित आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारण करते हैं। जहां तक गैर-अनुसूचित दवाओं का संबंध है तो आप बिल्कुल सही हैं कि निर्माता मूल्य का निर्धारण कर सकता है परंतु वह इसे प्रति वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा सकता। हम इसका निरीक्षण करते हैं लेकिन हम इससे सहमत हैं कि गैर-अनुसूचित दवाओं में बहुत बड़ा मार्जिन है और हमें इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें पहले ही एक रिपोर्ट मिली है और निर्णय विभिन्न फोरमों के समक्ष गया है और हम आने वाले समय में उचित निर्णय लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल सही हैं कि हमें गैर-अनुसूचित दवाओं का भी मूल्य नियंत्रण करने की आवश्यकता है।''

6.3 एनपीपीए के सभापति ने मामले का स्पष्टीकरण निम्नवत् दिया:—

> ''वास्तव में, औषधि मूल्य-नियंत्रण आदेश, 2013 के आने से पहले औषधि मूल्य-नियंत्रण आदेश, 1995 मौजूद था। मूल्य निर्धारण की यह संकल्पना 2013 में आई बाजार औसत पर आधारित है। ऐसा करके हम पूरे औषध उद्योग के लगभग 18.6% को नियमित कर रहे हैं और मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। लेकिन शेष गैर-अनुसूचित खंड है जिसके लिए हमने कैंसर विरोधी इस व्यापार मार्जिन युक्तिकरण को चलाया है और हमने सरकार से सिफारिश की है कि अब तक के इस अनियमित बाजार पर हमें चरणों में मूल्य युक्तिकरण भी लाना चाहिए।''

(क) उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम)

6.4 एनपीपीए द्वारा सीएपीपीएम योजना लागू की जा रही है। योजना के दो घटक हैं। अर्थात्, पीएमआरयू की सहायता और ब.अ. सहित विज्ञापन और प्रचार के लिए 2.00 करोड़ रुपये प्रत्येक के लिए हैं।

6.5 विगत तीन वर्षों के लिए ब.अ. और सं.अ. तथा 2019-20 के लिए ब.अ. के लिए उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) योजना के तहत व्यय सहित वर्षवार योजना कार्यकलाप निम्नवत् हैः—

(रुपए करोड़ में)

योजना/कार्यक्रम का नाम	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय
प्रिंट इलैक्ट्रॉनिक एवं अन्य मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता (उपभोक्ता जागरूकता प्रचार एवं मूल्य निगरानी के नाम से पुनर्नामित)			
2016-17	5.45	2.87	2.17
2017-18	4.00	2.00	शून्य
2018-19	4.00	2.98	1.14
2019-20 प्रस्तावित	4.00		

6.6 इस योजना के सार्वजनिक स्वास्थ्य कल्याण उद्देश्यों के बावजूद आवंटित राशि के अल्प-उपयोग के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नवत् बतायाः—

वर्ष 2017-18 हेतु कारण

(i) उपभोक्ता जागरूकता एवं प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) नाम की योजना के तहत, वित्त वर्ष 2016-17 में पीएमआरयू को 17.10 लाख रुपए की राशि जारी की गई। हालांकि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अलग 15 अंकों के संख्यात्मक शीर्ष को खोलने के मामलों के कारण व्यय नहीं किया जा सका।

(ii) 15 अंकों के शीर्ष को केवल मार्च, 2018 में कार्यात्मक बनाया गया था। इसके अलावा, मार्च, 2018 में योजना को संशोधित किया गया था, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोई नीधि जारी नहीं की जा सकी।

वर्ष 2018-19 हेतु कारण

(i) सीएपीपीएम योजना के पहले घटक (सामान्य सहायतानुदान) के तहत, भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) की स्थापना करनी शुरू की है, जो भूमि स्तर पर डीपीसीओ, 2013 के लाभों को प्रदान करने के लिए राज्य दवा नियंत्रकों और एनपीपीए को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

(ii) इस संबंध में, यह कहा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2018-19 में विभिन्न राज्यों में पीएमआरयू की स्थापना के लिए ठोस प्रयास किए गए थे। जनवरी, 2019 में दिल्ली में एनपीपीए में राज्य औषधि नियंत्रकों (एसडीसी)/खाद्य और औषधि प्रशासकों (एफडीए) के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। इसके अलावा, दिल्ली में डीसीजीआई के सीडीएससीओ की परामर्शदाता समिति की बैठक में एसडीसीएस/एफडीए के साथ पुनर्विचार किया गया था।

पीएमआरयू की स्थापना की आवश्यकता पर बल देने के लिए एसडीसीएस/एफडीए के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग नियमित संचार और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए किया गया और एनपीपीए के ट्विटर हैंडल के माध्यम से सूचना प्रसार भी किया गया।

(iii) नियमित और जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, वर्ष 2018-19 के अंत तक चार राज्यों अर्थात् केरल, गुजरात, ओडिशा और राजस्थान में पीएमआरयू स्थापित किए गए थे। योजना के पहले घटक अर्थात् 'सामान्य सहायतानुदान' के पहले घटक के तहत वर्ष के दौरान इन चार राज्यों को 1.14 करोड़ रुपए का वितरण किया गया।

(iv) इस बीच, 2019 में लोक सभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के कारण, अन्य राज्यों में पीएमआरयू की स्थापना की प्रक्रिया में देरी हुई। इसके अलावा, पीएमआरयू की स्थापना की प्रक्रिया काफी हद तक संबंधित राज्य सरकार और उनके संबंधित राज्य दवा नियंत्रकों/खाद्य और औषधि प्रशासकों की तैयारियों और सहयोग पर निर्भर करती है।

(v) अगस्त, 2019 के अंत तक, एसएफसी द्वारा 2019-20 के लिए योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य और साथ ही भारत सरकार की 100 दिवसीय योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, दस राज्यों में पीएमआरयू को पंजीकृत किया गया है। समिति को यह भी बताया गया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए पंचवर्षीय योजना की तर्ज पर वर्ष 2019-20 के दौरान स्थापित की जाने वाली पीएमआरयू की संख्या बढ़ाकर 12 की जा रही है और योजना में संशोधन करते हुए वर्ष 2023-24 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।

(vi) सीएपीपीएम योजना के दूसरे घटक अर्थात् 'विज्ञापन और प्रचार' के तहत, संशोधित अनुमान चरण में 4.49 करोड़ रुपए का निम्नलिखित कारणों से उपयोग नहीं किया जा सकाः—

क. आम चुनाव 2019 से पहले आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के लागू होने के कारण समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने और लघु वीडियो स्पॉट के लिए मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में समय लग गया।

ख. डीएवीपी के माध्यम से वर्ष के दौरान प्रसारित होने वाले रेडियो जिंगल्स के बिलों की अनुपलब्धता।''

6.7 समिति ने जब आगे उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) के निष्पादन की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली के विषय में पूछा तब विभाग ने अनुदान की मांगों 2019-20 पर अपनी प्रारंभिक सामग्री में निम्नवत् बतायाः—

''एनपीपीए ऐसे संबंधित राज्यों के राज्य औषधि नियंत्रकों के समन्वय में इस योजना को लागू कर रहा है जहां हाल ही में पीएमआरयू को पंजीकृत किया गया है। पीएमआरयू के कार्यनिष्पादन की निगरानी योजना दिशानिर्देशों के तहत एनपीपीए द्वारा और सचिव, औषध विभाग द्वारा बारीकी से की जा रही है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर निधियों के उपयोग की प्रगति की निरंतर निगरानी की जा रही है। राजस्व व्यय की निगरानी माह में दो बार आयोजित होने वाली समन्वय बैठकों में औषध विभाग के सचिव स्तर पर मामला दर मामला आधार पर की जाती है। लक्षित कार्यकलापों को उपलब्धियों की अलग-अलग समय-सीमाओं में विभाजित कर दिया जाता है; बाधाओं की पहचान की जाती है और विभिन्न राजस्व योजनाओं के तहत व्यय की गति को तेज किया जाता है। संबंधित एजेंसियों अर्थात् नीति आयोग, व्यय विभाग से अपेक्षित मूल्यांकन/अनुमोदन समय से प्राप्त करने, ईएफसी बैठकें बुलाने आदि की गति को तेज किया जाता है।''

6.8 जब समिति ने सभी राज्यों में पीएमआरयू स्थापित करने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में पूछा तब औषध विभाग के सचिव ने मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को निम्नवत् जानकारी दीः—

''ये हमारे पास केरल, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, नागालैण्ड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हैं। हमने इस योजना को अभी शुरू ही किया है। यह एक नई योजना है। हमने पहले सात राज्यों से इस योजना को शुरू किया है। इस वर्ष हमें दस की अनुमति मिली है। अब एनपीपीए ने अनुमोदन किया है कि ये सभी राज्यों में होनी चाहिए। अतः, हम शेष 31 राज्यों में भी इसके लिए सरकार से पूछेंगे। हम इसे केंद्र शासित क्षेत्रों में भी लाना चाहेंगे क्योंकि वे भी पूर्णतः स्वतंत्र संस्थाएं हैं।''

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

सिफारिश संख्या 1

समिति यह कहने के लिए बाध्य है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए औषध विभाग द्वारा प्रस्तावित 398.05 करोड़ रुपए में से वित्त मंत्रालय ने केवल 235.51 करोड़ रुपए ही आबंटित किए। 398.05 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि में केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए 366.05 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। आबंटन में कटौती के दृष्टिगत विभाग को केन्द्रीय क्षेत्र की अपनी स्कीमों के लिए कम आबंटन अर्थात् कुल मिलाकर 204.30 करोड़ रुपए का आबंटन करना पड़ा। इस संबंध में समिति विभाग द्वारा व्यक्त की गई राय को नोट करती है कि परिव्यय में कटौती से विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और विभाग के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की अपनी मुख्य स्कीमों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त नहीं होगा। विभाग द्वारा दिए गए ब्योरे के अनुसार निधियों के कम आबंटन के कारण राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) का विकास, औषध निर्माण उद्योग के विकास की वृहत्तर स्कीम का कार्यान्वयन और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के भी प्रभावित होने की संभावना है। चूंकि यह देश की समस्त जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय विभाग की केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों के आबंटन हेतु विभाग के प्रस्ताव पर विचार करे और वर्ष 2019-20 के दौरान सं.अ. स्तर पर विभाग की स्कीमों के लिए अपेक्षित धनराशि आबंटित करे। विभाग इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उच्च स्तर पर भी उठाए और समिति द्वारा की गई इस सिफारिश को मंत्रालय को अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित किया जाए।

सिफारिश संख्या 2

समिति इस बात की सराहना करती है कि ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) जो कि महत्वपूर्ण स्कीम पीएमबीजेपी को कार्यान्वित करता है, का मार्गदर्शी सिद्धांत है। इसका राजस्व बढ़ाने और इसकी प्रचालन लागत को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना ताकि आंतरिक संसाधनों के माध्यम से इसके प्रचालन को कायम रखा जा सके। वर्ष 2019-20 के दौरान बीपीपीआई को अपने प्रचालन को जारी रखने हेतु लगभग 245 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसमें से यह अपने प्रचालन से 202.50 करोड़ रुपए जुटाने की स्थिति में है और इसे सरकार से अनुदान के रूप में केवल 42.50 करोड़ रुपए की जरूरत है। पीएमबीजेपी के कार्यान्वयन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए बीपीपीआई के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति की यह दृढ़ राय है कि लोगों को कम मूल्य पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु पीएमबीजेपी

का उद्देश्य किसी भी सूरत में विफल नहीं होना चाहिए और समिति सिफारिश करती है कि सरकार बीपीपीआई को पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तक इसे अनुदान प्रदान करे। विभाग वर्ष 2019-20 के दौरान पीएमबीजेपी के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि की जरूरत के बारे में अपनी मांग सं.अ. स्तर पर निधियों के आबंटन हेतु वित्त मंत्रालय के समक्ष रखे और इस बारे में इस समिति द्वारा व्यक्त की गई राय के बारे में भी उसे बताए।

सिफारिश संख्या 3

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि वर्ष 2019-20 के दौरान 1200 पीएमबीजेपी के खोले जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 675 जिलों में 5300 केन्द्र हैं और वर्ष 2019-20 के दौरान 723 जिलों में इनकी संख्या बढ़ाकर 6500 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी तरह वर्ष के दौरान दवाओं के प्रोडक्ट बास्केट को 900 से बढ़ाकर 1200 करने का भी प्रस्ताव है। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि वर्ष के दौरान पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने और प्रोडक्ट बास्केट का विस्तार करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं चूंकि अधिक उत्पादों के साथ अधिक केन्द्र होने से अधिक लोगों को सस्ती दर पर जेनरिक दवाइयां मिलेंगी। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 4

समिति नोट करती है कि विभाग ने राज्य सरकारों से पर्वतीय, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क बिजली के साथ स्थान आबंटित करने का अनुरोध किया है। समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण, दूरस्थ, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने हेतु पीएचसी में स्थान आबंटित करने के लिए राज्य सरकारों को राजी करने हेतु विभाग द्वारा सार्थक प्रयास किए जाएं। समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 5

समिति नोट करती है कि वर्तमान में औसतन एक जिले में 8 पीएमबीजेपी केन्द्र कार्यरत हैं और वर्ष के अंत तक इसे बढ़ाकर जिले में 9 केन्द्र किया जाएगा। समिति की राय में लोगों को सस्ती दर पर गुणवत्तापरक दवाइयां उपलब्ध कराने के स्कीम के उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए पीएमबीजेपी केन्द्रों की इतनी संख्या पर्याप्त नहीं है चूंकि लोगों के लिए पीएमबीजेपी केन्द्र को तलाशने के लिए विशेष रूप से जब उन्हें दवाइयों की तत्काल आवश्यकता हो, लंबी दूरी की यात्रा करना कठिन होगा। अतः समिति सिफारिश करती है कि देश के प्रत्येक जिले में और अधिक पीएमबीजेपी केन्द्र खोले जाएं ताकि इससे और अधिक लोगों को फायदा हो।

सिफारिश संख्या 6

समिति यह नोट करके चिंतित है कि विभाग की वृहत्त योजना नामत: 'औषध निर्माण उद्योग के विकास की स्कीम' मुख्यत: स्कीम के कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों के कारण शुरू नहीं की गई है। यह केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है और वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए इसका कुल परिव्यय 480 करोड़ रुपए है। वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान लगभग 4.64 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं और वर्ष 2019-20 के लिए 8.29 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस स्कीम में पांच उप-स्कीमें शामिल हैं अर्थात् सामान्य सुविधाओं के लिए औषध निर्माण उद्योग को सहायता (एपीआईसीएफ); सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता; औषध निर्माण प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता स्कीम (पीटीयूएएस); और औषध निर्माण संवर्धन और विकास स्कीम (पीपीडीएस)। समिति ने यह पाया है कि वर्ष 2019-20 के दौरान औषध निर्माण प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता स्कीम, सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए बल्क ड्रग उद्योग को सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता नामक उप-स्कीमों के लिए केवल 1 लाख रुपए का सांकेतिक आबंटन किया गया है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन को तीन वर्ष होने वाले हैं और वर्ष 2019-20 के लिए केवल सांकेतिक आबंटन ही किया गया है। चूंकि यह विभाग की अग्रणी स्कीम है जिसका उद्देश्य औषध निर्माण उद्योग का समग्र विकास करना है, समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की:—

(i) चालू वित्तीय वर्ष से इन स्कीमों के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा तत्काल तथा प्रभावी कदम उठाए जाएं। समिति को प्रत्येक उप-स्कीम के बारे में प्रगति के संबंध में अवगत कराया जाए।

(ii) सभी उप-स्कीमों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाए और स्कीमों के त्रुटिरहित कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। उपयुक्त कार्यवाही हेतु उप-स्कीमों में समानताओं का भी अध्ययन किया जाए।

(iii) उप-स्कीमों के तहत नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार इन सभी प्रस्तावों की संवीक्षा की जाए और इन प्रस्तावों को समय रहते अनुमोदन प्रदान किया जाए। समग्र वृहत्त स्कीम के लिए केवलं 8.30 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है, अत: उप-स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित निधियां वर्ष 2019-20 के दौरान सं.अ. स्तर पर प्राप्त की जाएं। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई के स्कीम-वार ब्यौरे तीन माह के भीतर भेजे जाएं।

(iv) 'औषध निर्माण प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता स्कीम' संबंधी महत्वपूर्ण उप-स्कीम के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं। स्कीम के कार्यान्वयन हेतु सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के चयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और की-गई-कार्रवाई उत्तरों में समिति को इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 7

समिति नोट करती है कि औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पांच केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं। इन पांच उद्यमों में से दो उद्यम अर्थात् इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) तथा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) रुग्ण हैं और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) को वर्ष 2013-14 से घाटा हो रहा है तथा यह रुग्णता की अवस्था में है। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) तथा बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) लाभ में चल रहे केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं। समिति यह भी नोट करती है कि आईडीपीएल, एचएएल और आरडीपीएल को भारी घाटा हो रहा है तथा सरकार ने एचएएल की कार्यनीतिपरक बिक्री करने का निर्णय लिया है जिसका अर्थ है इसके संयंत्र और मशीनरी को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विनिर्माता को बेचा जाएगा। जहां तक आईडीपीएल और आरडीपीएल का संबंध है, सरकार का इन सरकारी उपक्रमों को बंद करने तथा देयताओं को पूरा करने के लिए उनकी परिसंपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव है। समिति इन रुग्ण सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य बकाया का निपटान करने के संबंध में चिंतित है और इस संबंध में समिति नोट करती है कि विभाग ने वित्त मंत्रालय को फाइल भेजी है कि या तो 2019-20 के संशोधित अनुमान में आवश्यक प्रावधान करे या संशोधित अनुमान से पूर्व एकमुश्त अनुदान प्रदान करे ताकि कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य बकाया का भुगतान किया जा सके। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को या तो एकमुश्त अनुदान प्रदान करने या 2019-20 के संशोधित अनुमान में पर्याप्त प्रावधान करने के लिए वित्त मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर मामला उठाकर इन सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकाया का भुगतान करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए। समिति द्वारा व्यक्त चिंता से वित्त मंत्रालय को भी अवगत कराया जाना चाहिए। समिति को इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर इस बारे में हुई प्रगति से अवगत कराया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 8

अन्य दो लाभ में चल रहे सरकारी उपक्रमों के संबंध में समिति ने नोट किया कि सरकार ने केएपीएल के कार्यनीतिपरक विनिवेश तथा बीसीपीएल की कार्यनीतिपरक बिक्री करने का निर्णय लिया है। तथापि, न्यायालय में मामले होने के कारण इनकी प्रक्रिया रुकी हुई है। इस संबंध में समिति नोट करती है कि औषध विभाग ने केएपीएल का किसी भी स्तर पर विनिवेश का समर्थन नहीं किया है क्योंकि केएपीएल इसके आरंभ से ही लाभ में चल रहा सरकारी उपक्रम है और विभाग ने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में इसकी भूमिका को माना है। बीसीपीएल सर्पविष-रोधी औषधि का उत्पादन भी करता है जिसे अन्य सरकारी उपक्रम नहीं बनाते । इसने भी विगत तीन वर्षों में लाभ कमाना शुरू कर दिया है। समिति की दृष्टि में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सह-अस्तित्व तथा उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से लोगों के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता

वाली दवाओं का उत्पादन होगा। केएपीएल तथा बीसीपीएल लाभ कमाने वाले सरकारी उपक्रम हैं और प्राकृतिक आपदाओं, अन्य आकस्मिकताओं तथा महामारियों के फैलने आदि के समय अनिवार्य दवाओं की आपूर्ति के लिए इनका रहना आवश्यक हो सकता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों के बने रहने से जहां तक दवाओं के मूल्यों का संबंध है प्रतिस्पर्धा बनी रह सकेगी। यदि इस क्षेत्र को पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया जाता है तो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिस्पर्धा के न रहने के कारण दवाओं के मूल्य संभवत: निजी क्षेत्र द्वारा ही नियत होंगे। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि केएपीएल तथा बीसीपीएल के विनिवेश/बिक्री के नीतिगत निर्णय पर उनके कार्यनीतिपरक महत्व के मद्देनज़र पुन: विचार किया जाना चाहिए तथा इसकी बजाय इन्हें आधुनिकीकरण, विविधकरण व बेहतर तकनीकी जानकारी की मदद से सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि ये इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बने रह सकें। समिति का मत है कि सरकार का नीतिगत निर्णय आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए।

सिफारिश संख्या 9

समिति नोट करती है कि मोहाली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, हाजीपुर, रायबरेली, कोलकाता तथा हैदराबाद स्थित सात नाइपर हैं। इनमें से केवल मोहाली स्थित नाइपर ही जो वर्ष 1988 में स्थापित हुआ था, पूरी तरह प्रचालनरत है तथा अन्य, जो वर्ष 2007-08 से प्रचालनरत थे, संरक्षक संस्थानों की मदद से ही कार्यरत हैं। इन नए नाइपरों में आधार संरचना तथा नियमित अकादमिक व अन्य स्टाफ का अभाव है। इस संबंध में, समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि इन छह नाइपरों में संकाय पद जनवरी, 2019 में सृजित किए गए हैं और इन सभी पदों के भर्ती नियम विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं। अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता तथा रायबरेली स्थित नाइपर पदों को भरने के लिए पहले ही विज्ञापन दे चुके हैं। नाइपर हाजीपुर पदों. का विज्ञापन देने की प्रक्रिया में है। आशा है कि नाइपरों द्वारा सभी पद दिसम्बर, 2019 तक भर लिए जाएंगे। चूंकि गुवाहाटी, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता तथा रायबरेली में नाइपरों को बने एक दशक से अधिक का समय हो गया है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि इन नाइपरों के संकाय तथा अन्य पद दिसम्बर, 2019 से पहले ही नियमित स्टाफ से भरे जाएं और इस संबंध में हुई प्रगति से समिति को अवगत कराया जाए।

सिफारिश संख्या 10

समिति यह भी नोट करती है कि मोहाली स्थित नाइपर ही अपने परिसर से कार्यरत है तथा अन्य सभी नाइपरों को अपने नियमित परिसरों का निर्माण करने के लिए भूमि का आबंटन किया गया है। अब तक गुवाहाटी नाइपर के परिसर के निर्माण कार्य का लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। अहमदाबाद नाइपर ने परिसर के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है तथा हाल ही में निविदा जारी की है। वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों का प्रावधान

होने पर परिसर का निर्माण कार्य जनवरी, 2020 तक शुरू हो जाएगा। अन्य नाइपरों के मामले में यद्यपि व्यय वित्त समिति ने निर्माण कार्य को मार्च, 2020 तक आस्थगित रखने का निर्णय लिया है फिर भी इन संस्थानों को अपने परिसरों के नक्शों को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है ताकि व्यय वित्त समिति का अनुमोदन मिलते ही परिसरों का निर्माण कार्य तत्काल शुरू हो सके। समिति यह नोट करके चिंतित है कि सात नाइपरों में से केवल मोहाली-नाइपर का ही अपना परिसर है। चूंकि नाइपर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जो स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट शिक्षा प्रदान करते हैं तथा औषध निर्माण की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान करते हैं इसलिए अति आवश्यक है कि उनके पास अद्यतन अवसंरचना तथा प्रयोगशाला सुविधाएं हों। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि सभी छह नाइपरों के लिए निश्चित समयावधि में नियमित परिसरों का निर्माण करने हेतु विभाग तत्काल आवश्यक कदम उठाए।

सिफारिश संख्या 11

समिति यह नोट करके भी चिंतित है कि विभाग ने बजट अनुमान 2019-20 में सात नाइपरों के लिए 250 करोड़ रुपए मांगे थे। तथापि, वित्त मंत्रालय ने नाइपरों के लिए 150 करोड़ रुपए ही आबंटित किए हैं। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह वित्तीय आबंटन पर्याप्त नहीं है। समिति यह भी नोट करती है कि व्यय वित्त समिति ने 26.03.2018 को हुई अपनी बैठक में 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए 959.53 करोड़ रुपए अनुमोदित किए। तथापि, इस अवधि के लिए केवल 465.77 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। हाल ही में, विभाग ने वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए आबंटित करने का अनुरोध किया है जिनमें छह नाइपरों में संकाय और गैर-संकाय के नियमित पदों को तुरंत भरने के लिए 25.00 करोड़ रुपए और छह नाइपरों के लिए उपस्कर तथा मशीनरी खरीदने तथा नाइपर गुवाहाटी परिसर के निर्माण कार्य को पूरा करने और नाइपर अहमदाबाद परिसर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 275.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में लंबित है। चूंकि इन नाइपरों के पूर्ण कार्यकरण के लिए निधि आबंटन अति आवश्यक है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग को नाइपरों के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता के मामले को संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों के आबंटन के लिए वित्त मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर उठाना चाहिए। समिति की यह सिफारिश अनुपालनार्थ उस मंत्रालय को भी भेजी जाए।

सिफारिश संख्या 12

समिति नोट करती है कि मदुरै, तमिलनाडु तथा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चार नए नाइपरों की स्थापना का कार्य व्यय वित्त समिति ने मार्च, 2020 तक आस्थगित कर दिया है। ताकि पहले मौजूदा नाइपरों को सुदृढ़ बनाया जा सके। इस संबंध में, समिति

सिफारिश करती है कि इन नाइपरों को शुरू करने की प्रक्रिया ईमानदारी से आरंभ की जानी चाहिए ताकि इन राज्यों को भी राष्ट्रीय महत्व की इस संस्था का लाभ मिल सके।

सिफारिश संख्या 13

समिति यह नोट करती है कि एनपीपीए के मुख्य कार्यों में औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के अंतर्गत अनुसूचित सूत्रयोगों के मूल्यों का निर्धारण एवं संशोधन शामिल है। इसलिए, वे समग्र फार्मा इंडस्ट्री द्वारा विनिर्मित औषधियों में से लगभग 18.6 प्रतिशत औषधियों का मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। शेष औषध जो गैर-अनुसूचित हैं, के मूल्य एनपीपीए द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते हैं। विनिर्माता मूल्य का निर्धारण कर सकता है परंतु इसे 10 प्रतिशत प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। समिति की राय में, गैर-अनुसूचित औषध जो देश में विक्रय होने वाली औषध का 81.4% है, के मूल्य को भी एनपीपीए द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, समिति विभाग द्वारा किए गए निवेदन को नोट करती है कि गैर-अनुसूचित औषध की लागत एवं मूल्य के बीच भारी अंतर है तथा उन्हें इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। चूंकि यह बहुत आवश्यक है कि गैर-अनुसूचित औषध के मूल्यों को नियंत्रित किया जाए, समिति यह सिफारिश करती है कि गैर-अनुसूचित औषध के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए औषध विभाग एवं एनपीपीए द्वारा उपयुक्त तंत्र तैयार किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी की सीमित आय पर दबाव न पड़े।

सिफारिश संख्या 14

समिति यह नोट करती है कि 'मूल्य निगरानी संसाधन यूनिटों (पीएमआरयू) को सहायता' उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) स्कीम का एक घटक है जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य निगरानी संसाधन इकाइयों यूनिटों (पीएमआरयू) की स्थापना शुरू की है जो औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के लाभ को सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए राज्य औषध नियंत्रकों और राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह योजना एनपीपीए द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। पीएमआरयू सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां हैं जिनके अपने संगम ज्ञापन/उप-विधियां हैं। समिति यह नोट करती है कि केरल, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, नागालैण्ड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों में 10 पीएमआरयू स्थापित किए गए हैं। विभाग ने वर्ष 2019-20 के दौरान दो और पीएमआरयू स्थापित करने तथा वर्ष 2023-24 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस संबंध में, समिति यह नोट करती है कि पीएमआरयू को स्थापित करने की प्रक्रिया मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और उनके संबंधित राज्य औषध नियंत्रकों/खाद्य और औषध प्रशासकों की तैयारी और सहयोग पर निर्भर करती है। चूंकि पीएमआरयू औषध

के मूल्यों की सबसे निचले स्तर पर निगरानी करने में सहायक होंगी इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि वर्ष 2023-24 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमआरयू की स्थापना के लिए विभाग द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा असहयोग की दशा में, इस मामले को मुख्यमंत्री के स्तर पर योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए उठाया जाना चाहिए।

नई दिल्ली;
10 *दिसंबर*, 2019
19 *अग्रहायण*, 1941 *(शक)*

कनिमोझी करुणानिधि,
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति।

परिशिष्ट एक

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश (2019-2020)

समिति की बैठक मंगलवार 22 अक्तूबर, 2019 को 1430 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती के. कनिमोझी — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
3. श्री सत्यदेव पचौरी
4. श्री अरुण कुमार सागर
5. श्री एम. सेल्वराज
6. श्री प्रदीप कुमार सिंह
7. इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु
8. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
9. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद

राज्य सभा

10. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
11. श्री अहमद अशफाक करीम
12. श्री विजय पाल सिंह तोमर

सचिवालय

1. श्री मनोज कुमार अरोड़ा — **विशेष कार्य अधिकारी (लो.स.स.)**
2. श्री ए.के. श्रीवास्तव — **निदेशक**
3. श्री सी. कल्याणसुन्दरम — **अपर निदेशक**

साक्षियों की सूची

एक. रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध निर्माण विभाग)

1. श्री पी. डी. वाघेला — सचिव
2. सुश्री अलका तिवारी — अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
3. श्री नवदीप रिनवा — संयुक्त सचिव
4. श्री रजनीश टिंगल — संयुक्त सचिव

दो. एनपीपीए के प्रतिनिधि

1. श्रीमती शुभ्रा सिंह — अध्यक्ष, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)
2. सुश्री ऋतु ढिल्लन — जेएस एवं एमएस (एनपीपीए)

तीन. नाईपर के प्रतिनिधि

1. प्रो. ए. रघुराम राव अक्किनपल्ली — निदेशक (नाईपर-मोहाली)
2. डॉ. किरन कालिया — निदेशक (नाईपर-अहमदाबाद)
3. डॉ. शशि बाला सिंह — निदेशक (नाईपर-हैदराबाद)
4. डॉ. गायत्री वी. पाटिल — निदेशक (नाईपर-हाजीपुर)
5. डॉ. वी. रविचन्द्रन — निदेशक (नाईपर-कोलकाता)
6. डॉ. यू.एस.एन. मूर्ति — निदेशक (नाईपर-गुवाहाटी)
7. डॉ. एस.जे.एस. फ्लोरा — निदेशक (नाईपर-रायबरेली)

चार. पीएसयू के प्रतिनिधि

1. सुश्री नीरजा सराफ — प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल)
2. श्री पी.एम. चंद्रैया — प्रबंध निदेशक, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)
3. श्री सचिव कुमार सिंह — मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई)

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों और रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध निर्माण विभाग) के प्रतिनिधियों तथा अन्य अधिकारियों का बैठक में स्वागत किया। उनका ध्यान समिति की बैठक की कार्यवाही की गोपनीयता के बारे में अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55(1) में निहित प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया।

3. साक्षियों द्वारा अपना परिचय दिए जाने के पश्चात् औषध निर्माण विभाग के सचिव ने समिति के समक्ष औषध निर्माण विभाग की अनुदानों की मांगों 2019-20 के संबंध में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

4. पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के बाद विभाग की अनुदानों की मांगों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान माननीय सभापति और समिति के सदस्यों ने कई मुद्दों पर प्रश्न उठाए, जैसेः–

(एक) बजट आबंटन और विभाग द्वारा धनराशि का उपयोग;

(दो) औषध निर्माण उद्योग के विकास की वृहद योजना हेतु धनराशि का कम आबंटन और थोक दवा उद्योग, चिकित्सा उपकरण उद्योग तथा औषध निर्माण उद्योग हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना और औषध निर्माण प्रौद्योगिकी उन्नत योजना के कार्यान्वयन की स्थिति;

(तीन) ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केन्द्रों के अभाव और दूरस्थ क्षेत्रों में और अधिक केन्द्र खोलने हेतु लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों सहित 'प्रधानमंत्री भारतीय-जनऔषधि परियोजना' का कार्यान्वयन;

(चार) देश में और अधिक गोदाम खोलने तथा विभिन्न जनऔषधि केन्द्रों से दवा की मांग के सही पूर्वानुमान और जेनेरिक दवाओं की मांग तथा आपूर्ति में समानता और इन केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणों के लिए ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) द्वारा किए गए प्रयास;

(पांच) मुख्यतः लाभ उत्पन्न करने वाले पीएसयू जैसे कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) तथा बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के विनिवेश हेतु विभाग के अंतर्गत पीएसयू का विनिवेश;

(छह) विभिन्न नाईपर (एनआईपीईआर) में रिक्त संकाय पदों और प्रशासनिक पदों को भरने से संबंधित मुद्दों सहित देश में नाईपर का संचालन और कार्य प्रदर्शन तथा नाईपर, मदुरै सहित प्रस्तावित नाईपर की स्थिति; और

(सात) दवाओं की कीमत पर नियंत्रण, निगरानी और दस राज्यों में स्थापित कीमत निगरानी संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) के संचालन में एनपीपीए की भूमिका और अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उनका विस्तार।

5. औषध निर्माण विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों ने समिति द्वारा उठाए गए उक्त मुद्दों का उत्तर दिया।

6. सभापति ने साक्षियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने तथा उसे बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्हें यह भी कहा गया कि वे उन बिन्दुओं/प्रश्नों के संबंध में अपेक्षित जानकारी/स्पष्टीकरण, जो उस समय उपलब्ध नहीं थी, लिखित रूप में शीघ्रातिशीघ्र भेजें।

7. बैठक की कार्यवाही के शब्दशः रिकॉर्ड की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट दो

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2019-2020) की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2019 को 1700 बजे से 1730 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रमाकान्त भार्गव
3. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
4. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
5. श्री सत्यदेव पचौरी
6. श्री प्रदीप कुमार सिंह
7. श्री एम. सेल्वराज
8. श्री उदय प्रताप सिंह
9. श्री एच. वसंतकुमार
10. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
11. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
12. श्री दीपक बैज
13. डॉ. मनोज राजोरिया

राज्य सभा

14. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर
15. श्री अहमद अशफाक करीम

सचिवालय

1. श्री मनोज कुमार अरोड़ा — **विशेष कार्य अधिकारी**
2. श्री ए. के. श्रीवास्तव — **निदेशक**
3. श्री सी. कल्याणसुन्दरम — **अपर निदेशक**

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार किया:

(एक) 'अनुदानों की मांगों 2019-20' संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग);

(दो) 'अनुदानों की मांगों 2019-20' संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन (औषध निर्माण विभाग); और

(तीन) 'अनुदानों की मांगों 2019-20' संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन (उर्वरक विभाग)।

4. विचार-विमर्श के पश्चात् समिति द्वारा प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी परिवर्तन/संशोधन के स्वीकार किया गया।

5. समिति ने सभापति को रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, उर्वरक विभाग और औषध निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदनों के तथ्यात्मक सत्यापन से उत्पन्न होने वाले परिणामी परिवर्तन, यदि कोई हों, प्रतिवेदनों में करने तथा इन्हें संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

"विभागों से संबद्ध संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों सहित सभी संसदीय प्रकाशन बिक्री हेतु विक्रय पटल, स्वागत कार्यालय, संसद भवन (दूरभाष सं. 23034726, 23034495, 23034496) पर लोक सभा सचिवालय द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं के पास तथा प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली (दूरभाष सं. 24367260, 24365610) और उनके विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त जानकारी *www.parliamentofindia.nic.in* वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

संसद के प्रतीक चिह्न युक्त स्मारक मदें भी विक्रय पटल, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली पर उपलब्ध हैं। संसदीय संग्रहालय के प्रतीक चिह्न युक्त स्मारक मदें, स्मारिका बिक्री केन्द्र (दूरभाष सं. 23035323), संसदीय संग्रहालय, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। इन वस्तुओं की सूची उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।"